[Shri A. G. Kulkarni] have gone to the Prime Minister's Office. But, anyway, it has to go to the Chairman to give a ruling on this because a fundamental question has been raised and a ruling is required. In ordinary course, it should not go. But I would place this before the Chairman. This is the ruling.

SHRI K. C. PANT (Uttar Pradesh): Does the Government have anything to say in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SIT A RAM KESRI): We are hardly concerned with the Secretariat. How can 1 say anything?

## CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### Reported attack on Harijans on the 9th May, 1980 in village Kafalta in Almora District, Uttar Pradesh

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa); Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the reported attack on Harijans on the 9th May, 1980, in village Kafalta in Almora district, Uttar Pradesh, resulting in the death of 15 Harijans.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS <SHRI YOGENDRA MAKWANA): Sir, the Government deplore the ghastly incident whidh occurred on the 9th May, 1980, in Kafalta village of Almora district, Uttar Pradesh in which 14 Harijans were killed.

According to the report received from the Government of Uttar Pradesh, a marriage party of Harijans consisting of about 40 persons from village Biralgaon was approaching village Kafalta at about 5 P.M. on the 9th May, 1980 on its way to village Pipna. Disnute arose when the "upper paste' villagers ofj Ka>falta( insisted that the bridegroom should get down and walk through the village as per earlier practice. It is understood that in reverance to the temple in the village, the practice has been that the bridegrooms get down from their dandi while passing through the village. In the case of "upper castes", they get down near the temple, while Scheduled Castes were made to get down right on the outskirts of the village. On the refusal by the marriage party to agree to this, an altercation ensured between the barat party and the people of this predominantly '"upper caste" village. Harijans ran for shelter and some found refuge in the house of one Shri Nari Ram, a local Harijan. This house was set on fire by "upper caste" villagers. Some succumbed to burn injuries on the spot. Some others who ran in different directions were chased an beaten to death by lathi blows, stone blows and some by sharp-edged weapons. 14 Harijans and one "upper caste" Hindu were killed in the incident.

Senior officials of the State Government visited the place of incident. A Special Team of State CID officers was entrusted with the investigation of this case. Out of the 33 accused who were named in the case registered in this connection, 30 accused have been arrested. Charge sheet against 26 "upper caste" men accused under Sections 147114811491 436/323/325/302 IPC and 4 "upper caste" women accused Section 4(4)/ 4(10)/7 PCR Act were submitted on 26th May, 1980. One "upper caste" accused had been killed in the incident. The remaining two are yet to be arrested, against who action under Section 82/83 Cr. P.C. is being taken. In the case registered in connection with the murder of one "upper caste" person, evidence was available against three Harijans out of whom two had been killed in the incident. Charge-sheet has been submitted on 26th May, 1980 against the remaining one Harijan accused under Section 147/148/ 302 IPC.

On the request of the State Government the High Court of Allahabad has directed District Judge, Almora, that this case be taken up on priority and the Court concerned would be directed not to take up any other work *unless* this *case cannot* proceed for some reason so that the accused can be brought to book expeditiously.

The Home Minister visited village Biralgaon and village Jamar to which many of the deceased belonged. Apart from conveying to the members of the families condolences and sympathies on behalf of the Government of India, Home Minister also assured the villagers that those who are responsible for the gruesome murder, would be given exemplary punishment. Villagers were also assured complete security to the life and property of the next of kin of the deceased as well as others in the area. The Home Minister also announced on behalf of *the Prime* Minister an ex-gratia relief to the affected families at the rate of Rs. 10,000 per deceased. In addition, the Government of Uttar Pradesh have also sanctioned relief at the rate of Rs. 2,000 per deceased. The Home Minister advised the District Administration to take immediate precautionary measures and to constitute Peace Committees so as to restore confidence among the weaker sections and also bring about harmonious and cordial relations between the two sections of the community. He also issued instructions regarding prompt steps to *he* taken against the culprits.

SHR! NARASINGHA PRASAD NANDA: Sir, I have heard the Minster. He has described the incident. I do not want to elaborate. But one hangs one's head in shame when one hears of such grissly-killings. This is not the only incident which has taken place. We have heard about Pipra which was of course somewhat different in dimension and intensity. We heard about Samastipur. That had its own horizon. We have been hearing almost every day incidents after incidents taking place in this country involving atrocities on the Harijans.

When I gave this Calling Attention notice, I thought over whether I should at all give this notice. Has it not become a formal affair? Has it not become just ceremonial to simply raise a question and discuss it in the House with absolutely no effect either on the Government *or* on the society. Unless the Government tries very seriously to consider some of the basic questions which cause this type of incidents, I am afraid, it wiH be very difficult to control them only with routine instructions issued by the Government of India from time to time as has been done on the 10th of March by our Home Minister, Mr. Zail Singh.

I personally feel, Sir, that the three basic reasons for this kind of incidents are—of course I will not elaborate them because this is just a Calling Attention, not a full-fledged debate—political intransigence social intolerance and economic exploitation. Particularly these are the three main reasons for which this kind of incidents take place You take any incident. That incident will come under one or the other of these categories. Not only is there social intolerance, but we notice complete irreconcilability between the communities on political grounds.

As a matter of fact, the survivors who have come over here and have been holding a dharna for the last twelve days, it has been reported in the Press, were meeting the Prime Minister today going in a silent procession. You kindly notice, Sir, that their main allegation is that political forces were to blame for these grissly-killings in Kafalta. After all, what were these poor people doing? Does not the Government know that in the months of Mav tnd June in Almora district and in Tehri-Garhwal district marriages take place because soon after there is rarn in the hilly areas? These are the two months, May and June when the marriages take place every year. And this kind of incidem is not taking place finr tho first time

[Shri Narasingha Prasad Nanda]

in that region. Whenever such marriages take place and processions are taken out and the bridegroom does i not agree to get down ivorn the "dholi", this kind of tension occurs and such incidents occur. Was not the Government of U.P. aware of it? It was aetuaJJy at that time under the control of the Government of India because the Government of India was exercising power through the Governor. There was President's rule in the State. Was not the Government of India aware that when such marriages take place during this season, there was likelihood of tension in the area? Now, after an incident takes place, we hold a post mortem—why the incident took place, how it took place, why it should have taken place and whether it could have been prevented. All this post mortem we conduct after the incidents take place. But nobody tries to consider—particularly the" Government has the primary responsibility in this matter—as to how to solve it. I have gone carefuily through the instructions, "guidelines" as they call it, issued by the Home Ministry, to which reference was made by my friend, the hon. Minister of State for Home Affairs while he was replying to Q. No. 64 during the Question Hour. The guidelines appear to me to be routine guidelines. Now, social intolerance is there. The Harijans insisted that the bridegroom shall not get down from the "dholi". The villagers wanted that he should get down from the "dholi". The villagers wanted that he should get down from the "dholi" 300 yards before the temple. It was a question of prestige for the villagers, the caste Hindus. Then the Harijans said, "All right, the bridegroom will get down from the "dholi" just near the temple. There is no question of his getting down 300 yards before the temple." And then the incident starts and ultimately ends in the grissly-killing of 14 Harijang in the burning of a large number of houses, in the people indulging in arson.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI); Nanclaji, please limit yourself to asking questions only. There are 10 names with me.

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Quite right. You know I don't take much time.

The basic things have to be considered and in my view, the instruments of implementation, the machinery of implementation has to be streamlined. How are you going to tackle this problem? If you satisfy yourself just by taking these Scheduled Castes and Scheduled Tribes as your vote bank and shedding crocodile tears for them, by getting their votes and thereafter forgetting your ijesporieibility towards that Community, certainly you cannot solve this problem. Please consider the basic questions. Are you seriously trying to remove this kind of political intransigence, this social intolerance, this economic exploitation? And how are you going to do it? I would be more interested in knowing that.

Sir, I know senior officials went to that spot much later. The district administration was aware that this kind of incident was likely to take place because a little earlier there was some tension regarding this very incident. They visited the spot long after the incident. They did visit. Of course, I am happy that the Home Minister visited the spot. The Prime Minister gave Rs. 10.000 to each family from her Relief Fund and the U.P. Government gave Rs. 2,000 each. But the value of a life is not Rs. 12,000. You don't get back that life. Therefore, my questions to the Home Minister would toe: (1) is the Government prepared to streamline the administration, and, if so, what is the thinking of the Government on this aspect so that they become immediately responsive to this kind of a situation? (2) Will any special machinery be set up to look into the problem of agricultural wages in regard to which many members of the Scheduled Castes are suffering? How wiH the

problem of land be settled in relation io them? Merely issuing guidelines will not yolve their problem. What machinery wiH be set up for the implementation of those guidelines or what machinery has been *set* up so far toy the State Governments and what is the response of the state Governments to the guidelines issued oy the Central Government on this major issue? (3) Ig the Government prepared to impose a punitive tax irrespective of the reason or ground on which such incidents take place? (4) Are you prepared to arm these poor people against the onslaught of caste Hindus to defend themselves?

These are the questions to which I did not find an answer in the statement of the Minister. I would therefore like him to answer them now.

SHRI YOGENDRA. MAKWANA: The honourabl? Member has rightly said that there are three main reasons behind it. The first reason is not the i-eal reason. It is clubbed with the second one, that is social intolerance, social intolerance and the political parties together. After all, all these political parties, including rny party, come Irom the society and social intolerance is the main reason. Now, so far as this aspect i9 concerned, it is not the job of a particular political party; it is the job of all of us, because all of us are commuted to it, including the opposition and my party, that this should be stopped in tMs country. So far as my party is concerned, we have taken many steps TO prevent these atrocities. The nexx point he has stressed is the correct root cause of it, and that is economic exploitation. Many of the incidents take place from economic exploitation of the Scheduled Castes. But as he has said, this social intolerance ftnd economic exploitation can be taken care of by the Government and for that, as I have said during the Question Hour, we have evolved a special scheme of special Central assistance wherein we have provided Rs- IOO crores, and Rs. 1200 crores are agiin provided for the Scheduled Castes Welfare Corporation. These are the economic measures we have taken. As I have pointed out previously, I am Sir, my friend is impatient. I am going round the country holding meetings with officers for stressing the importance of implementation of this programme. My officers are also moving around and they are guiding the State officials in this programme. Now, that is only for the economic upliftment of the Scheduled Castes, in order fo release tension on them. The main thing is social intolerance and for that all of us have to work together, the opposition and the party in power. Then, some questions have been raised by the honourable Member. One is whether the Government is prepared to streamline the administration. As I have pointed out, the Government is committed to it and we have already streamlined the administration ...

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: What is the answerability and accountability of officers? Have you taken any special steps in that direction?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I am taking up your questions *one* by one. You have asked three or four questions. 1 am coming to your points one by one ..

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA; Please tell me what the answerability and accountability is of the district administration for these ghastly incidents which took place in Kafalta village in Almora district.

SHRl YOGENDRA MAKWANA: personally visiting the States, I am coming to his questions one after another, but he is not satisfied. He asked about agricultural wages. For that the Minimum Wages Act is there, and we have stressed upon the State Governments for implementation of this Act Now, regarding the response of the State Governments to the letter and guidelinea issued by the Central Government, we have stressed upon them their importance and when I go per. sonally I insist on their implementa-

[Shri Yogendra Makwana]

tion. So far as punitive taxes areconcerned, these measures are al-ready there under the Social Securi-ties Act enacted in 1975 by the Cong-ress Government. So far as this is concerned—I am subject to correc-tion—only one State has taken actionunder this provision and has impos-ed penal tax, and that is my own State. Regarding supply of arms to the Scheduled Castes, T do not agree because these arms will only be used against themselves because they are weak... *(Interruptions).* There is a difference of opinion on this. Their population is also less. If there are one or two houses in a village, they will not be able to meet the force of the entire village. Therefore, if the arms are .supplied to them, they will only be used against them.

So far as the accountability is con- cerned, as I have pointed out, in the PCR Act, it is indicated and those officers who are not acting promptly will be considered as abetters and ac-tion will be initiated against them accordingly.

**श्री योगेन्द्र शर्मा** (बिहार) : मान्यवर, कफल्टा में जो यह अमानुषिक और पाशविक सामन्ती नंगा नाच हुआ है वह बेमिसाल है। उसके सामने बेलछी और पिपरा के कांड भी बौने हो जाते हैं। वहां पर 15 आदमी मारे गये और जिस अवस्था में मारे गये, हम समझते हैं कि मंत्री महोदय उसको जानते हैं। उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि यह जो डोला-पालकी आन्दोलन उत्तराखण्ड का है यह डोला-पालकी आन्दोलन आज का नहीं है। उत्तराखण्ड में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो महात्मा गांधी ने अपने अखबार 'हरिजन' में डोला-पालकी आन्दोलन का समर्थन ही नहीं किया था बल्कि उन्होंने यहां तक कहा था कि जो इस आन्दोलन का समर्थन नहीं करेगा वह कांग्रेस की सदस्यता की पात्रता प्राप्त नहीं कर सकेगा। इस हद तक गांधी जी ने कहा था। तो डोला-पालकी आन्दोलन वहां से शुरू हुआ।

9 तारीख को जो यह कांड हुआ है यह पहला कांड नहीं है। इसके एक हफ्ते पहले 2 तारीख को कफल्टा के एक हरिजन निवासी हरीराम की लड़की की शादी थी। बारात बाहर से आई और जब बाहर से बारात आई तो दूल्हा को गांव के बाहर पालकी से उतार दिया। तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने कहा। यह 2 तारीख की बात है। हरीराम सौभाग्य से उन लोगों में से है जो दिल्ली में कहीं किसी जगह काम करता है। इसलिये कुछ पैसा भी उसके पास हो गया है। उसने अपना पक्का मकान बना लिया है। इसलिये उसने अपनी लड़की की शादी में बहुत से गांवों के लोगों को बुलाया था और बहुत से गांवों के हरिजन लोग वहां पर आये थे। जब उन्होंने इस बात को देखा कि उनकी बारात में उनका दूल्हा पालकी पर चढ़ करके गांव में नहीं जा सकता है, वे खुद पालकी उठाते हैं लेकिन अपने दूल्हे को पालकी में चढ़ाकर नहीं ले जा सकते हैं....तो उन्हें न केवल सदमा हुआ बल्कि उत्तेजना भी हुई। 9 तारीख को जो कांड हुआ है वह दो तारीख के कांड का सिलसिला है। हमें आश्चर्य इस बात से है कि दो तारीख को यह कांड हुआ कफाल्ता में और उस क्षेत्र में दो तारीख को ही नहीं बल्कि उसके पहले भी पालकी से हरिजन दूल्हे को उतारने के अनेक कांड हो चुके हैं और उनके मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। फिर भी सरकार बेखबर रही, सोयी रही बावजूद इसके कि दो तारीख को यह चीप हो गई, बावजूद इसके कि जो बारात 9 तारीख को वहां पर बिरलगांव से जा रही थी उस बारात के जाने का रास्ता वही है। वही गांव है उस गांव के बिना बारात आगे नहीं बढ़ सकती थी। बारात दूसरे गांव में जा रही थी, कफाल्ता में नहीं जा रही थी। उससे आगे जा रही थी। मगर रास्ता वही है, कोई दूसरा नहीं है। तो कम से कम प्रशासन को मालूम था कि दो तारीख को वहां पर कांड हो चुका है और फिर यह बारात जा रही है और उसी गांव से हो कर जा रही है तो क्यों नहीं कोई एतिहाती कार्यवाही की गई... *(Interruptions)*.

तो हम जानते हैं। मगर हम लोग पार्लियामेंट में बोलने के लिए आए हैं। इसलिए किसी ने पार्लियामेंट की परिभाषा ही कर दी है

कि यह टाकिंग शाप है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्यों नहीं एतिहाती कार्यवाही की । मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह बात है कि 14 मई को कफाल्ता के निकट ही पेसिया गांव में तथाकथित उच्च जाति के लोगों की सभा हुई और उस सभा में यह प्रस्ताव पास किया गया कि हरिजनों को जो आरक्षण दिए गए हैं उसके खिलाफ आन्दोलन शुरू किया जाए ? क्या सरकार को इस बात की खबर है ? यदि खबर है तो क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि 14 मई को कफाल्ता के निकट पेसिया गांव में इस तरह की सभा हुई थी कि हरिजनों को जो संविधान में आरक्षण दिए गए हैं उस आरक्षण के खिलाफ आन्दोलन शुरू किया जाए ?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि जिला अधिकारी घटनास्थल पर 20 घंटे बाद पहुंचे। न केवल यह कि उनहोंने 9 तारीख के लिए कोई एतिहाती कार्यवाही नहीं की बल्कि जब 9 तारीख को कफाल्ता का अमानुषिक कांड हो चुका तो उसके 20 घंटे बाद जिला मजीस्ट्रेट और दूसरे अधिकारी पहुंचे । वे इतनी देर से क्यों पहुंचे ? जब कि इतना बड़ा कांड हो गया जिसमें 15 आदमी मारे गए और घर में बंद कर के जला दिए गए । 20 घंटे बाद उनकी नींद खुलती है तो वे किस बात का प्रशासन करते हैं, किस चीज की देखरेख करते हैं ? ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की जाती ? क्या सरकार ऐसे प्रशासकों से कोई जवाब-तलब करेगी, एक्सप्लेनेशन मांगेगी और यदि वह एक्सप्लेनेशन असंतोषजनक होगा तो क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी ? यदि कार्यवाही नहीं करेगी तो हरिजनों के लिए सरकार की जो सहानुभूति है वह सिर्फ घड़ियाली आंसू होंगे ।

**श्री भोला पासवान शास्त्री** (बिहार) : नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे ?

*(Interruptions)*

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : शास्त्री जी आप भी तो मुख्य मंत्री रह चुके हैं । आप सब कुछ जानते हैं ।

**श्री रामानन्द यादव (बिहार)** : इन्होंने तो उनके दुख-दर्द को सुना ही नहीं ।

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : मान्यवर, टोकाटाकी हो रही है . . .

*(Interruptions)*

**श्री रामानन्द यादव** : मुख्य मंत्री होकर आपने हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया । आप हरिजन मुख्य मंत्री बने, कुछ नहीं किया. . .

*(Interruptions)*

**श्री भोला पासवान शास्त्री** : जिस मशीनरी में हम थे, उसमें ऊंची जाति के लोग थे । उन्होंने नहीं करने दिया, आपने नहीं करने दिया. . .

*(Interruptions)*

**श्री रामानन्द यादव** : मुख्य मंत्री आप थे, आपने क्यों नहीं किया. . .

*(Interruptions)*

**श्री भोला पासवान शास्त्री** : अब आप पावर में आ गये हैं । आज आप क्यों नहीं कर रहे हैं. . . आज ताकत कहां *(Interruptinos)*

चली गयी, मुंह क्यों बंद है . . . **(व्यवधान) हाथ क्यों बंद है** *(Interruptions)* **आपको ये** सब बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है यह समझ लीजिए. . . ***(Interruptions)*** फालतू बातें मत बोलिये ?

**श्री रामानन्द यादव** : हमारी चिंता मत कीजिए. . .

*(Interruptions)*

**श्री भोला पासवान शास्त्री** : अपनी ताकत से बाहर मत जाईये. . .

*(Interruptions)*

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : मान्यवर, इन दोनों की बहस में मैं नहीं जा रहा हूं । लेकिन मैं शास्त्री जी से इस कथन से सहमत हूं कि शास्त्री जी उन लोगों के हाथ में कैदी थे. . .

*(Interruptions)*

**श्री बुद्ध प्रिय मौर्य** (आंध्र प्रदेश) : शास्त्री जी क्या, जब तक राजनैतिक संरक्षण है, शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राईब का जो भी होगा उनका जर खरीद गुलाम होगा । They are political beggars.

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं । गृह मंत्री महोदय ने इस बात की कृपा की कि वे विरल गांव गये, जहां से बारात निकली थी लेकिन जहां पर यह अमानुषिक घटना हुई, 15 आदमी मारे गये वहां पर नहीं गये और तारीफ की बात यह है कि गृह मंत्री महोदय को भी पालकी पर चढ़कर जाना पड़ा उस विरल गांव में । इसके लिए हम उनको दोष नहीं देते हैं क्योंकि वहां पर आवा जाई का दूसरा साधन नहीं है । उनको पालकी पर ही चढ़कर जाना पड़ेगा । मगर एक हरिजन दूल्हा पालकी पर चढ़कर अपनी शादी करने के लिए नहीं जा सकता है । क्या ऐसा अन्यायपूर्ण समाज कायम रहेगा ? इस अन्यायपूर्ण समाज में आग लगानी होगी । आप हम नहीं लगायेंगे तो कोई और दूसरे लगायेंगे । इस तरह का अन्यायपूर्ण समाज चल नहीं सकता है । हम मंत्री हैं हम पालकी पर चलेंगे मगर हरिजन चूंकि हरिजन हैं, हरिजन जाति में पैदा हुआ है इसलिए वह अपने लड़के की शादी पालकी पर चढ़कर नहीं कर सकता है । इस तरह का अन्यायपूर्ण समाज कायम नहीं रह सकता है । आग लगेगी इसमें ।

तो मैं जानना चाहता हूं कि जब पालकी पर चढ़कर गृह मंत्री महोदय विरल गांव पर चढ़कर गृह मंत्री महोदय विरल गांव गये तो कफाल्टा क्यों नहीं गये, जहां कि वह हत्याकांड हुआ *(Time bell rings)* मान्यवर, उसी क्षेत्र के करीब *(Interruptinos)* पांच सौ हरिजन परिवार करीब दो हजार एकड़ जमीन जोत रहे हैं लेकिन करबेट नेशनल पार्क के जंगल और पर्यटन अधिकारी उनको बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं । कारबेट नेशनल पार्क को और भी फैलाया जाये, फैलाने के लिए और कुछ नहीं है तो फैलाने के लिए उन हरिजन गरीबों की जमीन छीन लो, उनको बेदखल कर लो और नेशनल पार्क को फैला लो । दूसरे जो धनी मानी लोग हैं उनकी जमीन क्यों नहीं बेचते । अतः दो हजार एकड़ जमीन से पांच सौ हरिजन परिवारों को, कारबेट नेशनल पार्क को फैलाने के नाम पर बेदखल करने की जो कोशिश हो रही है । क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि उनको बेदखल नहीं किया जायेगा ?

आखिर में उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से गांधी जी ने कहा था कि जो डोला आंदोलन में शामिल नहीं होगा, इसका समर्थन नहीं करेगा वह कांग्रेस की सदस्यता का पात्र नहीं हो सकता है । उसी तरह से हम समझते हैं कि हरिजनों की समस्याओं को या इस तरह की तमाम बातों को क्यों नहीं हम तमाम पार्टियां मिलकर हल करें । यह आचार संहिता तैयार करें कि हरिजनों पर अत्याचार करने वालों के लिए तमाम पार्टियों का दरवाजा बंद है और कम से कम शासक पार्टी को तो नमूना पेश करना चाहिए । वह समूचा नमूना पेश करने के बदले तीन-तीन राज्यों में बड़े-बड़े भू-स्वामियों को मुख्य मंत्री बना दिया है, वे ही भू-स्वामी जोकि हरिजनों के हत्यारे हैं और अब गांधी का नाम लेते हैं ।

कहीं थोड़ी-सी ईमानदारी है, तो हम तमाम पार्टियों को जोकि हरिजनों के ऊपर होने वाले जुल्मों के प्रति यदि थोड़ी भी तकलीफ है, तो हमें एक आचार-संहिता बनानी चाहिए कि वे लोग जो हरिजनों पर जुल्म करने वाले हैं, उनके लिए हमारा दरवाजा बंद है । ऐसे लोगों को आप मुख्य मंत्री मत बनाओ, ऐसे लोगों को आप मंत्री मत बनाओ ऐसे-ऐसे लोगों को आपने बना रखा है, तो हरिजनों पर जुल्म क्यों नहीं होगा, शास्त्री जी ने ठीक कहा है ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, I can understand the anguish and the anger pf the hon. Member and I share it. That is why I said in Ihe beginning that this Government is taking all neeessary steps for check, ing all these atrocities. Some questions have been asked by the hon. Member. He asked why necessary steps had not been taken when there had been an incident on the 1st and 2nd May, 1980. In the case of Hari Ram's daughter's marriage, it was settled then and there. The bridegroom and the bride both went on foot and later on rode over a *palki* or a *doli* at the outskirts of the village. So, no problem arose. There was no complaint and, therefore, we did not know that the marriage is

taking place. $W_e$ had no information.

श्री योगेन्द्र शर्मा : हरिजनों का गुनाह तो यह है कि वे गुलाम नहीं रहना चाहते ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: There wa,s no information regarding this marriage. Nobody informed about the marriage party going to this village. So, no arrangements were made previously. *(Interruptions)* The Government cannot know about everything going on in this country. It is not possible unless they inform that the *Barat* is going to the village and they require some protection. *(Interruptions).* If some incident had occurred, the processionists should have taken some precaution and informed the Governm3nt that the *Barat* was going and they require some protection. Regarding the incident in the Katya village on the 14th of May, 1980, I will definitely inquire into it and see what can be done. Regarding the delay...

SHRI YOGENDRA SHARMA: "I shall inquire about it and I shall see what can be done." What will you inquire and what will you do now?

SHRI YOGENDRA MAKWANA; I will definitely take necessary action after inquiry. So far as delay in reaching this place is concerned, this incident took place at about 9.00 P.M. and there is no regular police. The revenue police is there.

SHRI YOGENDRA SHARMA; Excuse me, the incident took place at 5.00 P.M. and continued till 9.00 P.M.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: My information says that it look place at 9.00 P.M.

श्री योगेन्द्र शर्मा : नाइन पी. एम. तो खत्म हो गया ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: May be it happened in between 5 P.M. and 9 P.M. Then the revenue police reached the place. They



made inquiries. The District Headquarters is 140 kilometers away from that place. He informed the District Magistrate *on* the afternoon of 10th. The District Magistrate and the police left for the scene of crime *on* 10th evening. They reached $th_e$ village on the llth morning. $Th_e$ delay took plaoe because there was no means of conveyance. They have to go on foot.

श्री योगेन्द्र शर्मा: भई, आप लोगों के पास बहुत से हैलीकाप्टर्स हैं, चुनाव में बहुत से हैलिकाप्टर्स इस्तेमाल किए हैं...

श्री योगेन्द्र मकवाणा : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं है ।

श्री भा. वे. खबिरागड़े (महाराष्ट्र) : आप के नजदीक पुलिस स्टेशन नहीं था क्या ?

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त (बिहार) : वे गए ही नहीं कफाल्ता ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: So far as the Home Minister's visiting Kafalta is concerned, whether he has gone on a 'doli' or not 1 do not know because I have not accompanied the Home Minister. I was i» Gujarat during those days. But h« visited Biralgaon and Jamar.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl A. G. KULKARNI); But your offlc* must be having information.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I don't have information whether he goes by a car or a 'doli'.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Mr. Makwana, the point is not whether he has gona by a 'doli' or an aircraft. The problem is whether he has visited.. .

SHRi YOGENDRA MAKWANA: I am coming to that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI); That is what I asked.

SHRI YOGENDRA MAKWANA; I do not know about the means of con-

[Shri Yogendra Makwana]

veyance. He definitely visited Biralgaon and Jamar.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): Th'aUs all right.

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : मेरा सवाल यह है कि गृह मंत्री कफाल्ता क्यों नहीं पहुंचे?

**श्री योगेन्द्र मकवाणा**: आप सुनिए तो । मैं कह रहा हूं कि वे बिरालगांव गए, जमार गए, जहां 2 आदमी मरे हैं। बिरालगांव के 10 आदमी मरे हैं। उनको आश्वासन उन लोगों को देना है जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं । वहां प्लेस आफ इंसिडेन्ट कफाल्ता में किस को आश्वासन देना था. . . *(Interruptinos)* रनिंग कमेन्टरी मत कीजिए ।

सुनिए, इन्क्वायरी का काम पुलिस अफसर का है । वह तो पुलिस अधिकारी और दूसरे अधिकारी जो हमने इम्पलाए किए हैं, वे करेंगे। होम मिनिस्टर तो इस वास्ते गए थे क्योंकि जिनके परिवार के लोग मारे गए थे उनको आश्वासन देना था, वहां जाकर उनके लिए सहानुभूति करनी थी और यहां से जो उनको हेल्प देने की बात हो सकती थी उस के लिए गए थे । बिरालगांव इसलिए गए थे। वहां 10 आदमी मारे गए थे, उनके रिश्तेदारों को मिले, परिवार के लोगों को मिले और उन लोगों को आश्वासन दिया, जो मदद देने की थी उस के बारे में कहा । वे जमार गए, जमार में 2 आदमी मरे थे, वहां भी जा कर उनके रिश्तेदारों को मिले और. . .

**श्री बुद्ध प्रिय मौर्य**: श्मशान भूमि में गए थे ?

**श्री योगेन्द्र मकवाणा** : कफाल्ता जाने की जरूरत ही नहीं थी। वहां जाने की उन को जरूरत है जिन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना है। वे लोग वहां जाएंगे।

**डा. भाई महावीर** (मध्य प्रदेश) : क्या मंत्री जी यह नया सिद्धान्त बता रहे हैं कि जहां काण्ड हुआ है वहां जाने की जरूरत ही नहीं है? क्या. . .

**श्री योगेन्द्र मकवाणा**: वहां क्यों जाएं! वहां कोई है ही नहीं। जो मरे हैं दूसरे गांव के लोग हैं।

**डा. भाई महावीर**: . .जिन्होंने काण्ड किया, जिन्होंने खुद झगड़ा किया उनका. . .

**श्री योगेन्द्र मकवाणा** : मारने वाले को मिलने की जरूरत नहीं है। जो मारे गए हैं उनके लोगों को मिलने की जरूरत है। मारने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी और उसको गवर्मेन्ट के अधिकारी कर रहे हैं। उसके लिए मिनिस्टर को जाने की जरूरत नहीं है। आप उस को पोलिटिकल इश्यू नहीं बनाइए। इससे कोई क्रेडिट आप को मिलने वाला नहीं है। भाई डा. महावीर, एवरीबडी नोज अबाउट योर पार्टी. . .

**डा. भाई महावीर** : श्रीमन्, मंत्री जी पार्टी की बात कर रहे हैं. . .

**श्री योगेन्द्र मकवाणा**: आप को हम भी जानते हैं, आर. एस. एस. क्या करती है, आप की पार्टी क्या करती है. . .

*(Interruptions)*

**डा. भाई महावीर**: जब आपकी पार्टी के लोग हरिजनों को मरवाते हैं उनको जलवाते. . .

(Interruptions)

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I know what is going on and what they are doing all over the country. This is all created by the RSS, the Jana Sanghis and the Anand Margis. Thoy are primarily responsible for this *(Interruptions),* It is they who have created this. *(Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): The Minister has got a right to reply.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The social intolerance is created by them,

DR. BHAI MAHAVIR: He is not replying, Sir. He is making an absolutely baseless and nonsensical statement. No Minister can make a nonsensical statement.

SHRI YOGENDRA MAKWANA; I stand by what I say.

DR. BHAI MAHAVIR: If he does not have sense, he cannot presume. Same about the House.

SHRI RAMANAND YADAV: Sir, I am on a point of order.
अभी माननीय सदस्य भाई महावीर ने शब्द यूज किया है नानसेन्सिकल । यह अनपार्लियामेन्ट्री है। मैं आप से चाहूंगा कि आप इसको देख लीजिए और माननीय सदस्य से आग्रह कीजिए वह विदड्रा करें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): I will look into it.

**डा. भाई महावीर:** 'नानसेंसिकल' में अनपार्लियामेंटरी क्या है यह मैं जानना चाहता हूं।

**श्री योगेन्द्र मकवाना:** मैं कह रहा था कि कारबेट नेशनल पार्क के बारे में जो बात है उस की भी जांच कराई जाए। वहां पापूलर गवर्नमेंट है, उसको हम कहेंगे। जब चीफ मिनिस्टर्स की, गवर्नर्स की, लेफ्टीनेंट गवर्नर्स की मीटिंग बुलाई गई थी तो उस में होम मिनिस्टर के लैटर के बारे में भी चर्चा की गई थी और इम्प्रेस किया गया था सब चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और लेफ्टीनेंट गवर्नर्स पर कि इस मामले में सब से ज्यादा काम करना है । अभी वहां पापूलर गवर्नमेंट है ।. इस बारे में हम उससे पूछेंगे और जो कुछ इस बारे में हो सकेगा करने की कोशिश करेंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. G. KULKARNI): The House stands adjourned till 2 p.m.

The House then adjourned for lunch at two minutes past one of the colck.

---

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock, The Vice-Chairman, (Shri R. R. Morarka) in the Chair.

**श्री रामानन्द यादव** : उप-सभाध्यक्ष जी, हरिजनों पर अत्याचार भारतवर्ष में सदियों से चले आ रहे हैं। विभिन्न युगों में शासकों ने अनेक उपाय रचे कि हरिजनों पर, कमजोर वर्ग के लोगों पर या दूसरे तबके के जो ऐसे ही लोग थे उन पर यह अत्याचार न हों, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, तीनों प्रकार के उपाय शासक वर्ग के लोगों ने शुरू किये उन लोगों को इन अत्याचारों से बचाने के लिये, लेकिन उन को सफलता नहीं मिली। उप-सभाध्यक्ष जी, आज हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहा है वह हिन्दू धर्म का एक अंग सा बन गया है । हिन्दू धर्म का जो बेस है वर्ण व्यवस्था वह हरिजन, कमजोर वर्गों तथा दूसरे दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के शोषण का बहुत बड़ा सूत्र बन गया है । आज हिन्दू समाज का वह तबका जो रामायण, महाभारत, पुराण और शास्त्रों के माध्यम से आया, आज इस शोषण को बचाये रखने में बहुत दिनों से सफलता प्राप्त कर लिया है। कफलता में जो घटना हुई वह बेलछी धर्मपुरा, नारंगपुर, आगरा, बनारस की घटनाओं को भी मात करती है । यह घटना आर्थिक घटना नहीं थी । कुछ लोग चाहते थे कि सदियों से बनी हुई परम्परा को तोड़ा जाए और कुछ लोग चाहते थे कि सदियों से बनी हुई परम्परा को रोका जाए । इन्हीं के बीच यह लड़ाई थी ।

उपसभाध्यक्ष जी, आपने देखा कि किस तरह से केवल पालकी पर बैठकर जाने के कारण कफल्ता में हरिजनों को रोक दिया गया और कहा गया कि दूल्हे को पालकी से उतार कर ले जाओ । अध्यक्ष जी यह उस परम्परा की शुरूआत है जो वर्ण व्यवस्था के साथ सदियों से इस देश में चली आ रही है । आज भी चले जाइये, पिछड़ी जाति के लोग देहातों में सवर्णों के सामने खाट पर नहीं बैठ सकते, खड़ाऊं पर नहीं चल सकते, छाता नहीं ले जा सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, अच्छा घर नहीं बना सकते, जमीन नहीं हासिल कर सकते । यह बात ठीक है कि कांग्रेस के तीस वर्षों के शासन में हरिजनों के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास के लिये बड़ा काम हुआ है । कांग्रेस पार्टी का कोई भी काम चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक हो या आर्थिक हो बिना हरिजनों के सहयोग के और उनके स्वार्थों को मद्देनजर रखे शुरू नहीं किया जा सकता । अध्यक्ष जी, जो हरिजनों की हालत है वह देखिये । हरिजन आज इस देश में शिक्षा से वंचित हैं । उनके पास जमीन नहीं, उनके पास सम्पत्ति नहीं,

(श्री रामानन्द यादव)

उनके पास आर्थिक अधिकार नहीं हैं, सामाजिक अधिकार नहीं हैं। उनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में जब से जनता पार्टी का शासन हुआ, लाठी के बल से उनके वोटों को घेर लिया गया। आज स्थिति यह हो गई है कि इस देश का हरिजन अपना वोट भी नहीं दे पाता है जो वोट इतना महत्वपूर्ण है कि उससे सरकार बनाई जाती है। लेकिन आज हरिजन इस देश में बालिग मताधिकार से भी वंचित है। यह बड़ी ही घोर अवहेलना है उस तबके के लोगों की जो इस देश के वासी हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, अम्बेदकर ने एक आन्दोलन चलाया था। हिन्दू धर्म के मातहत हरिजनों को सवर्णों के साथ समझा जाए। लेकिन बाध्य होकर जब अम्बेदकर साहब निराश हो गये तो उन्होंने एक नया अपना पंथ चलाया और पुराने धर्म बुद्धिज्म को अपनाया। आज इस देश के बहुत से हरिजन दूसरे धर्मों में चले गये इन्हीं हिन्दू धर्म की विषमताओं को लेकर। वह सोचें कि इसमें हमें समता नहीं मिलती है। आप चले जाइये, अन्य भागों में जहां दूसरे धर्मों के मानने वालों को देखते हैं तो हरिजन वर्गों के लोग आपको अधिकांश ईसाई और दूसरे धर्मों में मिलेंगे। आज के युग में बुद्धिस्ट काफी संख्या में वह हो गये हैं। क्या कारण है कि हिन्दू धर्म वालों ने इस प्रकार की बातों पर गौर नहीं किया है? महात्मागांधी जी ने कोशिश की थी और हिन्दुओं के साथ हरिजनों की आर्थिक समता को बढ़ाने का प्रयास किया था। कांग्रेस पार्टी के 30 वर्षों के शासन के दौरान अनेक लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिये गये। उनके लिये योजनाएं बनाई गई। उनका काफी आर्थिक विकास हुआ लेकिन आज के युग में ये सारी योजनाएं बेकार हो गई हैं। इस सब से उनका काम चलने वाला नहीं है। आज जिस स्तर पर वे हैं वह काफी नहीं है। उनकी आकांक्षाएं बढ़ गई हैं; उन्नत होना चाहते हैं। दूसरों से जब अपनी तुलना करते हैं तो पाते हैं वे बहुत नीचे हैं। वे चाहते हैं कि आर्थिक सुविधाएं मिलें, राजनीतिक सुविधाएं मिलें उनके अनुरूप भारत सरकार को आज इस बात की जरूरत है कि सारे पुराने मेजर्स, चाहे लेजिस्लेटिव हों, एडमिनिस्ट्रेटिव हों, जो लिये गये हैं उन सब में परिवर्तन करके नये सिरे से उनकी भलाई के लायक मेजर्स लिये जायें। अगर यह नहीं किया गया तो संभव है कि उनकी समस्याएं जो आए दिन होती रहती हैं वे न रुक सकें।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि कफाल्ता में जो बारात जा रही थी, मंत्री जी ने बताया कि एक सवर्ण हिन्दू मरा तो वह बतायें कि वह सवर्ण हिन्दू कैसे मरा। हमारे मंत्री जी ने इस बात की चर्चा नहीं की कि सवर्ण हिन्दू कैसे मरा। उन्होंने कैजुयल बात की कि सवर्ण हिन्दू मरा। जो तीन हरिजनों पर मुकदमा चलाया गया उसके लिये मंत्री जी ने बताया कि उनके लिये प्रमाण मिल गये इसलिये तुरन्त मुकदमा चलाया गया और चार्ज शीट भी हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार के प्रमाण मिले हैं और उन पर जो मुकदमा चलाया जा रहा है उसमें क्या प्रगति हुई है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई कंपरीहेन्सिव सोशल, पालिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आज की समस्याओं को मद्देनजर रख कर लेने के लिये तैयार है।

तीसरी बात यह जानना चाहता हूं कि पुराने मेजर्स जो उनकी आर्थिक हालत, राजनीतिक समस्या सुधारने के लिये गये थे उनके लिये क्या सरकार इस बात के लिये एग्री करती है कि वे पुराने पड़ गये हैं और उनके अनुरूप हम उनकी समस्याओं को हल नहीं कर सकते। उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनके जीवन की रक्षा नहीं की जा सकती, आर्थिक हालत नहीं सुधारी जा सकती और उन्हें वोट देने के लिये जो रोकते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। चौथी बात मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का अहसास किया है कि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोसिक्यूटिंग अथोरिटी में सामंजस्य न होने के कारण बहुत से मुकदमे लम्बे अर्से तक अदालतों में पड़े रहते हैं। बेलछी में मर्डर हुए, धर्मपुरा में हुए और दूसरी जगहों में हुए। हर जगह मुकदमें

चलें । मैं जानना चाहता हूं कि उन मुकदमों को इतने लम्बे असें तक क्यों चलने दिया गया । क्या सरकार ऐसा रास्ता अपनाएगी कि इन मुकदमों का, कितने अत्याचार होते हैं उनका, एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस और प्रोसिक्युटिंग अथॉरिटी में सामंजस्य करके जल्दी से जल्दी निराकरण हो । लास्ट में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केन्द्र में हरिजनों के लिये, अल्पसंख्यकों के लिये और कमजोर वर्गों के लिये एक अलग मिनिस्ट्री बनाएगी, एक्सक्लूसिव मिनिस्टरी बनाएगी। जिस मिनिस्ट्री का एक्सक्लूसिवली यह काम होगा कि अल्पसंख्यकों, हरिजनों और कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं को हल करे और उनके डेवलपमेन्ट और विकास के लिए जो कुछ किया जा सकता है वह किया जाये। उन लोगों की जो जरूरतें हैं उन सब को वह देखे ।

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि कफल्ता गांव में जो मंदिर है, क्या उस मंदिर में या उस मंदिर के सामने केवल हरिजनों को ही अपनी पालकी, सवारी, तांगे या घोड़े से उतर कर जाना पड़ता है या सवर्णों को भी अपनी सवारियों से उतर कर जाना पड़ता है ? इसके साथ-साथ क्या सरकार यह उचित समझती है कि किसी मंदिर से होकर अगर कोई आदमी अपनी सवारी में या घोड़े में बैठा हो तो उसका उतरना जरूरी है ? प्रत्येक आदमी को मंदिर के सामने या अन्य स्थान पर अपनी सवारी में चढकर चलने का जो अधिकार है, क्या इस प्रकार के बंधनों से प्रत्येक आदमी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है ? क्या सरकार इस अधिकार को रेस्टोर करने के लिये कोई प्रयास कर रही है?

**श्री योगेन्द्र मकवाणा** : माननीय सदस्य ने काफी बातें कहीं हैं । उन सब का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं । खास कर जो कुछ मुख्य सवाल उन्होंने उठाये हैं उनका जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूं । उन्होंने कहा कि दो हरिजनों को अरेस्ट किया गया, चार्ज-सीट किया गया, लेकिन सवर्णों को क्यों नहीं किया गया । मैंने पहले बताया है कि स्थिति ऐसी नहीं है । जो भी अपराधी थे उन सब को अरेस्ट किया गया है । ये सब 33 के लगभग हैं । उनमें दो अभी तक मिले नहीं हैं, भाग गये हैं । 30 को अरेस्ट किया गया है और चार्ज-सीट भी किया गया है । इनमें से तीन हरिजन हैं, लेकिन इन तीनों में से दो तो मर गये हैं ।

जहां तक सोशियल, पोलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का सवाल है, इसका भी मैंने पहले जब इस बारे में डिबेट चल रही थी तो जिक्र किया था । होम मिनिस्टर के लेटर का भी जिक्र किया गया है । यहां पर जो मीटिंग चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और लेफ्टि गवर्नर्स की हुई थी उसमें भी हमने इस समस्या पर विचार किया था । अन्त में यही कहना चाहूंगा कि लोक सभा में एक सदस्य की सूचना पर मैंने यह कहा था कि हम मेम्बर्स आफ शेड्यूल्ड कास्ट्स की एक मीटिंग बुलाएंगे और इसके अलावा लीडर्स आफ अपोजीशन पार्टीज की भी एक मीटिंग बुलाने वाले हैं । इन मिटिंगों में इन लोगों के क्या सुझाव होते हैं उनको हम देखेंगे और आगे कोई नई पालिसी, एपार्ट फ्राम पोलिटिकल डिफ-रेन्सेज, कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे । यह मिटिंग हम बुलाने वाले हैं ।

**श्री भा. ब. खोबरागडे** : आप यह मीटिंग कब बुला रहे हैं ?

**श्री योगेन्द्र मकवाणा** : हमने मिटिंग का प्रोग्राम कुछ फिक्स किया है। तीन ग्रुपों में बैठ कर हम इस समस्या पर विचार करेंगे। चार ग्रुप भी हो सकते हैं। अपोजीशन लीडर्स का भी ग्रुप होगा ।

Because there are many Members, I have to divide them into groups.

जहां तक इन्होंने नये कायदों की बात कही है और प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स की बात कही है, यह बात तो प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट, 1975 में है। उसमें उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। हमारे सामने सवाल तो उसके इम्प्लीमेंटेशन का है, पुलिस के महकमे को एक्टिवाइज करने का है। इस बारे में कुछ मेजर्स हमने लिये हैं और उनको होम मिनिस्टर के लेटर में बताया गया है। आनरेबल मौर्य जी ने और अन्य सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनको हमने ध्यान में रखा है। हमने स्टेट गवर्नमेंन्टस को कहा है कि जहां तक हो सके, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पुलिस में रखा जाये । जहां

[श्री योगेन्द्र मकवाणा]

तक मुकदमा जल्दी चलाने का सवाल है, उसके बारे में मैंने बताया है कि स्टेट गवर्नमेन्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई और यह तय किया गया है कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के जज को कहा गया है कि वे इस केस का फैसला होने तक दूसरा केस न लें और इसको जल्दी से तय करने की कोशिश करें। जहां तक हरिजन मिनिस्ट्री बनाने का सवाल है, यह आपका सजेशन है। इसको हम देखेंगे कि इस बारे में क्या हो सकता है। जहां तक सवर्ण समाज को वहां मंदिर से उतर कर जाना पड़ता है या नहीं, इसका सवाल है, उसके बारे में जो इन्फारमेशन मुझे मिली है उसमें बताया गया है कि सवर्ण समाज के लोग मंदिर के आगे उतर जाते हैं और फिर आगे अपनी सवारी में चढ़ जाते हैं। लेकिन जहां तक हरिजनों का ताल्लुक है उनको विलेज के बाहर से उतर कर आना पड़ता है।

**श्री लाखन सिंह (उत्तर प्रदेश):** उपसभाध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता कि माननीय गृह मंत्री श्री जैलसिंह जी भी यहां मौजूद होते। वे कफल्टा जाने का ड्रामा तो कर चुके पर गये केवल विराल गांव तक। विराल गांव में जाकर जो संबंधित हरिजन परिवार थे उनको 15 हजार रुपये प्रधानमंत्री कोष से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश हरिजन समाज कल्याण विभाग की ओर से देने की बात कही गई है, जो कि अभी तक दी नहीं गई है। महोदय, यह कांड ऐसा कांड है जिसने पिछले हुए काण्डों को मात दे दी है। यह ऐसा अमानुषिक कांड है जिसमें एक बारात जिसका दूल्हा केवल दो घंटे ही दूल्हा बना और जो दूल्हन थी उस अभागिन के घर तक बारात नहीं पहुंच सकी। यह कांड गांव के एक छोर पर हुआ। कहा जाता है कि यह गांव के अन्दर हुआ। पर यह गांव के एक छोर पर हुआ और मंदिर दूसरे छोर पर था। बारात रोकी गई, दूल्हे को उतारा गया डोली से जबर्दस्ती बाजे, नरसिंह, नगाड़े, ढोल आदि सब छीन लिये गये और इसी बीच में किसी व्यक्ति ने खीमानन्द नाम के व्यक्ति को चाकू घोंप दिया। वह व्यक्ति आसाम में लांसनायक के पद पर फौज में काम करता था। अभी तक यह पता नहीं चला कि उसकी पत्नी आसाम में कहां है। लेकिन जो ड्रामा हुआ वह यह हुआ कि हमारे गृह मंत्री जी क्योंकि चुनाव होने वाले थे इसलिये चुनाव के लिये कुछ भुनाने की दृष्टि से विराल गांव पहुंचे। एक नई बात यह कही जा रही है और जो लोकसभा में कही गई है वह यह है कि डा. मुरली मनोहर जोशी जी वहां गये। उन्होंने वहां सवर्णों की मीटिंग बुलाई। यह बिल्कुल झूठ बात है। 13 तारीख को मैं डा. जोशी के साथ अलमोड़ा में था। 14 तारीख को प्रातः जीप से रानीखेत होकर जा रहे थे पर क्योंकि रास्ता लम्बा है, कफल्टा गांव बहुत दूर पड़ता है इसलिये हमारी जीप का गियर खराब हो गया और रानीखेत में हमको देर हो गई। परन्तु फिर भी हम पहले या दूसरे गियर से ही पैसिया गांव तक पहुंचे जो कि सड़क पर है और जो कफल्टा गांव से करीब 6 किलोमीटर है। हमने कफाल्ता नहीं पहुंच सके। लेकिन हमने वहां सभी वर्गों के लोगों से बातचीत की, सबसे परामर्श किया सबको समझाया जिनमें हरिजन भी थे, ठाकुर भी थे और ब्राह्मण भी थे, जिससे तनाव को कम किया जा सके और आपस में मिलकर, बैठकर भ्रातृभाव पैदा किया जा सके। इस तरह की बात वहां हुई। लेकिन लोकसभा में कुछ और ही कहा गया है। महोदय, पहाड़ों में आज तक कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। वहां लोग मरते थे पहाड़ों से गिर जाने पर या किसी दुर्घटना में या कोई बस या कार नदी में गिर जाती थी तो मरते थे। पिछली बार पंतनगर में कुछ ऐसा कांड हुआ था लेकिन उसमें पुलिस ने गोली चलायी थी और तब लोग मरे थे। वहां के लिये वह दिन एक दुर्दिन था जो कि इस तरह की घटना का आरम्भ वहां हुआ। मैं समझता हूं कि दूल्हन जो बनने वाली थी जसुली, वह दूल्हन नहीं बन पाई और श्याम प्रसाद जो दूल्हा बना था शायद वह अब कभी उससे शादी न करे और वह पूरी जिंदगी भर दूल्हन फिर न बन सके और उसको सारे जीवन भर इस सामाजिक पीड़ा का सारे का सारा बोझ उठाना पड़े। तो महोदय, जो कुछ कहा जा रहा है, अखबारों में भी आया है और रेडियो में भी आया है कि ज्ञानी जैल सिंह जी कफल्टा गये थे। यह जो कांड हुआ यह नरराम के मकान में हुआ जहां 6 व्यक्तियों को जिन्दा

जला दिया गया । जो व्यक्ति जान बचाने के लिये भागे उन्हें खेतों में मार दिया गया और लाशों को इधर उधर खेतों में डाल दिया । एक व्यक्ति 14 मई को रानीखेत अस्पताल में मर गया । तो महोदय, इस सब के पीछे जो कारण है उसके लिये अभी तक सरकार ने कोई बात नहीं कही। सरकार ने एक बात जरूर कही थी कि हम न्यायिक जांच करायेंगे । लेकिन उसके बाद से न्यायिक जांच के बारे में सरकार मौन क्यों है क्या सरकार इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ बतायेगी ? दूसरी बात यह कि क्या सरकार हमको यह बतायेगी कि पिछले कई वर्षों से यहां कितनी बरातें रोकी गई हैं ? इन बारातों को रोक कर लूटा गया है । जैसे गतवर्ष डमरा गांव की बात थी और चिमकाना गांव की बारात को भी रोका गया और लूटा गया । क्या सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं था कि सल्ट ब्लाक इन मामलों में कमजोर है। आजादी से पूर्व भी यहां पर हरिजनों के साथ बहुत अत्याचार होते रहे हैं। उनको डोली में बैठाने नहीं दिया जाता। अच्छे कपड़े पहनने नहीं दिये जाते । परम्परागत रूप से खेती करने के बावजूद उनको खेती करने का अधिकार नहीं मिला है । पहाड़ की हरिजन जातियों में तीस प्रकार की जातियां हैं ।सब से प्राचीनतम शिल्पकार लोग हैं। सारे काम यह करते हैं । खेती करते हैं । मकान बनाते हैं। लोहारगिरी करते हैं। बर्तन बनाते हैं और बढ़ईगिरी करते हैं। यहां तक कि सिलाई का काम भी पहाड़ के हरिजनों को सौंपा गया है । इस सब के बावजूद आज जो शोषण का वातावरण बना हुआ है उसके लिए मैं समझता हूं कि एक बात जिम्मेदार है । वह है कि अंग्रेजों की दी हुई विरासत डिवाइड एंड रूल की पालिसी । पंतनगर में क्या हुआ ? उत्तर और पूर्व का झगड़ा खड़ा हो गया । कोई जाति की बात नहीं, कोई बिरादरी की बात नहीं, हिन्दू मुसलमान की बात नहीं। पंतनगर एक ऐसा हाट-बेड बना हुआ है कि पता नहीं कब कितने लोग फिर मरें। किन्तु यह सरकार खामोश है । पहाड़ पर शोषण होता रहा । सारी सम्पदा पहाड़ों की सरकार ले गई । लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग लोकतन्त्र को दिल्ली तक ही सीमित रखते रहे। लोकतन्त्र अपने आप में ही आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तन का एक हथियार है । 32 वर्ष के बाद भी सामाजिक परिवर्तन के नाम से कुछ नहीं हुआ। आर्थिक परिवर्तन के नाम से जो दिया गया जिसके कारण से घटनाएं बढ़ रही हैं । हरिजन वर्ग यह कह रहा है कि 32 वर्ष बाद हमें 18 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिला । दूसरे वर्ग कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बेकार हो जाएंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आरक्षण के कारण दोनों, तीनों वर्गों के लोगों में आज असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है । क्या सरकार इन दोनों तीनों वर्गों की सुरक्षा के लिये कोई कारगार कदम उठाना चाहती है।

तीसरी बात यह है कि खीमानंद नाम का जो व्यक्ति मरा है जिसकी पत्नी पता नहीं आसाम में कहां है क्या सरकार उस मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देगी ? नरराम को केवल एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने के साथ उसके आंसू पोंछे गए, क्या सरकार उसके परिवार के लिए भी कोई आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है । इसलिये जैसे कि मैंने पहले कहा इस सारे कांड के पीछे क्या कारण है, कौन से कारण जिम्मेदार हैं उसके लिये सरकार कोई न्यायिक जांच करवायेगी या नहीं । मुझे तो ऐसा आभास हुआ जब मैं पौसिया तक गया वहां पर लोगों का कहना था चुनाव की पूर्वबेला में यह कांड कैसे घटित हो गया? 9 मई के बाद 28 मई को चुनाव होने थे । महोदय, कुछ लोगों का कहना यह भी है कि झगड़ा करने के लिए कुछ बाहर से लोग आए ताकि यह सवर्णों और हरिजनों में झगड़ा हो और आने वाले चुनाव में इसको भुना लिया जाए । ऐसी बात पिछली बार पारसबिघा में भी हुई । तो क्या सरकार इस संबंध में कोई जांच कराएगी कि ऐसे कौन-कौन से तत्व हैं जिन्होंने झगड़ा करवाया। अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । महोदय मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार तनाव और आतंक तथा भय को खत्म करने के लिए उस क्षेत्र में क्या अमन कमेटियां बनाने का विचार रखती है? जिसमें सब लोग बैठ कर विचार करें ताकि वे भ्रातृत्व और स्वतंत्रता का भाव फिर से पैदा कर सकें और मिल-जुल कर अपने विकास के लिए कुछ

[श्री लाखन सिंह]

काम कर सकें। महोदय, हरिजन हिंदू समाज का सबसे बड़ा अंग है। मैं समझता हूं कि जैसे धरती है सारे भार को वहन करती है उसी प्रकार से हरिजन समाज सारे निर्माण का कार्य अपने ऊपर वहन करता है। ये सारे निर्माण कार्य अट्टालिकाएं, ऊंची ऊंची इमारतें, फाईव स्टार होटल, हरिजन लोग बनाते हैं। खेतों खलिहानों में उनसे काम लिया जाता है लेकिन उन्हें मिलता है अपमान और घृणा। महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद को और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि यदि यही हरिजन समाज नष्ट हो गया, खत्म हो गया तो हिन्दू समाज भी नहीं बचेगा। यदि हिन्दू समाज खत्म हो गया तो आज जो भारत है इसका पता नहीं क्या होगा भगवान जाने। क्योंकि इस देश के निर्माण का भार हरिजनों पर है। ये विश्वकर्मा हैं। सारा निर्माण कार्य हैण्डिल करते हैं। यहां तक कि जो खेत जोतने की बात कहीं जाती है, ब्राह्मण तो आज भी खेत नहीं जोतते हैं। यदि आज हरिजन यह तय कर लें कि वे खेत नहीं जोतेंगे, नहीं काटेंगे फसल। तो खेत बोये ही नहीं जा सकते हैं और फसल काटने की बात ही दूर रही, कल कारखानों के चक्के जाम हो जायेंगे। उसके बाद हमारे सारे समाज को, सारे लोगों को सोचकर, विचारकर राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर इसे हल करना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उस समय जो डिवाईड एण्ड रूल पालिसी अंग्रेज हमें दे गये, उस पालिसी ने देश का नाश कर दिया। देश में आग लगा दी। वोट जरूर मिलते हैं, वोटों की राजनीति होती है, गरीबों की बात होती है और अमीरों का काम होता है।

हमको ऐसा लगता है कि पहाड़ वालों में जागृति हुई थी, पहाड़ के लोग अपने विकास के लिये इलेक्शनों की मांग करने लगे थे। वे चाहते थे कि हमारा सूबा अलग हो जाये। हमारा शोषण हुआ है जितनी आमदनी हमारे वनों से होती है जितनी आमदनी खेतों खनिज पदार्थों से होती है उसका 10 वां हिस्सा भी हमें नहीं मिलता है और हमारा क्षेत्र इस देश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों में गिना जाता है। तो महोदय, हमारा इस संबंध में यही कहना है कि सरकार इसकी न्यायिक जांच करायें। जो तथ्य हैं वे सामने लाये जायें, ऐसा न हो कि बेगुनाह तो फंस जाएं और गुनहगार बच जायें। तो मैं अंत में सरकार से यही कहना चाहूंगा कि इस संबंध में सभी पक्षों को लेकर विचार करें और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं अन्त में कि पार्लियामेंट के सदस्यों की एक कमेटी बनाकर कफल्टा भेजी जाये और मौके पर जांच हो। सभी पक्षों से बातचीत हो तथा बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाये ताकि आने वाले समय में ऐसे अमानुषिक और जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति न हो सके। धन्यवाद।

**श्री योगेन्द्र मकवाणा:** सर, माननीय सदस्य ने काफी बातें कहीं पर ज्यादातर सजेशन दिये। प्रश्न तो उन्होंने एक पूछा है कि कितनी बारातें लूटी गया। इसके लिये हम जरूर पूछेंगे, तलाश करायेंगे कि कितनी लूटी गयी। मैं ऐसा नहीं सोचता था कि काल अटेंशन में ऐसा सवाल भी होगा। मैं तो सोच रहा था कि कुछ हरिजनों के बारे में पूछा जायेगा। बाकी तो जो उन्होंने बातें कहीं हैं वे सजेशन हैं जिसको हम देखेंगे।

**श्री लाडली मोहन निगम** (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, घटना किन कारणों से हुई, कैसे हुई मैं सिर्फ इस पर सदन का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता हूं। मुझे जैसे आदमी को सबसे बड़ी चोट लगी है वह इस कांड को देखने से यह है कि हिन्दुस्तान का वह इलाका जहां कभी इस तरीके की बात ही नहीं हो सकती थी, हुई नहीं थी देश के इतिहास में, वहां ऐसी घटना घटी। इस वास्ते इसको गम्भीरता से गृह मंत्री जी लें। शायद आपको नहीं मालूम है कि 1924 और 25 में अंग्रेजों ने एक साजिस की थी। जिस तरह मैदानी इलाकों में हिन्दू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की गयी उसी तरह से उन्होंने कोशिश की कि पहाड़ी इलाके किस तरीके से बंट जांय। लेकिन उस कोशिश में वे कामयाब हो ही रहे थे कि वहां पर आजादी के आंदोलन की किरण फूटी और मुझे इस बात को कहते हुए घमण्ड है कि 1936 में वहां आजादी की भूख ऐसी जगी कि जिसके चलते गांधी ने उस इलाके को बारडोली की संज्ञा दी थी। यहां जो मैदानी इलाकों में

स्वर्ण, हिन्दू और गैर हिन्दू का जो सवाल पैदा हो गया है, वर्ग का जो भाव यहां है, वहां वह नहीं पैदा हो पाया और यही नहीं आरक्षण का भी प्रश्न वहां पैदा नहीं हो पाया है, जैसे मेरे पूर्ववक्ता ने कहा, वहां इस तरह का प्रश्न नहीं है, न वर्ग का और न जाति का, वहां नये पैमाने से पहाड़ करवट ले रहे थे, तब गांधी जी का ध्यान इधर आकर्षित हुआ था और उन्होंने 1936 में वियोगी हरि और ठक्कर बापा ऐसे देश के सब से बड़े, मैं समझता हूं, समाज सेवी रहे हैं जिन्होंने कुछ किया है, वे गये और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, मैं चाहूंगा गृह मंत्री जी से कि कृपया यहां के दस्तावेजों में होगी, न होगी तो अगर आपको अपनी पार्टी परम्परा कांग्रेस असली कहलाने का फक्र है तो आपके दफ्तरों में होगी, उस रिपोर्ट को पढ़ियेगा और उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर के, जो दोषी हैं आप उसको सजा दिलायें, जिसका कुछ नुकसान हुआ है, उसको कुछ दे-दिवा देंगे, फिर कुछ हो जाएगा । लेकिन यह पैबंदकारी का काम है ।

जिस बुनियाद चीज को मैं चाहता हूं, मैं बाद में उस पर निवेदन करूंगा । मैं यह कह रहा हूं कि उस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद सामाजिक अन्याय कैसे हुआ है, उसको तो मैं कहना नहीं चाहता । निर्माण का कार्य, यानि मूर्ति घड़ने का काम, भगवान बनाने का काम, जिस बद्रीनाथ के मन्दिर के सामने झगड़े को लेकर के मामला होता है, उस बद्रीनाथ की मूर्तियों को बनाता वही शिल्पकार है। लेकिन उसका बेटा घोड़े पर बैठ कर वहां से निकल नहीं सकता, डोली में पालकी में उसकी बेटी नहीं जा सकती । इससे बड़ा कोई मजाक क्या कोई दूसरा हो सकता है और वह वहां ही नहीं खत्म हुआ। वह समाज के दूसरे अंग में, साहित्य और दूसरे क्षेत्रों में भी फैला। एक तरफ सुमित्रा नंदन पंत और दूसरी तरफ वहां का गांर्दा, जो सब से बड़ा लोक कवि जिसने वहां जन-साधारण में, आजादी के आन्दोलन में सब से बड़ा काम किया है । आज भी वहां की उसी पृष्ठभूमि में अभी और तो सभी मर गए। वैसे मुझे पता है कि हिन्दुस्तान की शायद उस पीढ़ी के आजादी के जीवित आदमियों में से आचार्य कृपलानी और खान अब्दुल गफ्फार खां, कुछ ऐसे लोग बचे हैं, बाकी के लोगों में तो कुछ हम जैसे लोग खाली स्पर्श आन्दोलन वाले लोग हैं। हरक राम जैसे लोग आज भी 98 वर्ष के वहां जिंदा हैं । उनकी लड़की भी उसी शिल्पकार वर्ग लोहार की लड़की है। उसका नाम आनंदी है जो सर्वोदय समाज के हैं । उन लोगों ने जो काम किया, जो काम कर रहे थे, जिस तरह से वर्ग-भेद तोड़ने की कोशिश हुई, वह बेमि-साल है। आपको एक बात बाजेह होगी कि वहां, सिर्फ तीन ही जातियां बसती हैं, ब्राह्मण, ठाकुर और शिल्पकार । मैं उनको हरिजन नहीं कहता, शिल्पकार ही कहता हूं। उनमें तीस उप-जातियां हैं, वह एक अलग बात है कि ब्राह्मण, ठाकुर में जरूर कुछ भेद हो गया है। उसमें खास-ब्राह्मण होता है, खास ठाकुर होता है, एक सादा ब्राह्मण होता है और एक सादा ठाकुर होता है । वह एक अलग चीज है । लेकिन वहां जाति-व्यवस्था ऐसी नहीं थी । कभी ऐसी चीज नहीं थी और इसी के चलते हुए गांधी जी ने हुक्म दिया हर गोविंद वल्लभ को सन् 1938 में, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो वे पहले ब्राह्मण थे, वह यह साबित करने के लिए कि यहां पर कोई भेद-भाव नहीं है, तुम जाओ और वे पहली मर्तबा, उन्होंने अल्मोड़ा में पहली बार ब्राह्मण होकर हल जोता जो कहीं आज तक नहीं जोता गया। या उसी जगह गोविंद वल्लभ पंत जिनके बेटे हमारे इस सदन के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं । उन्होंने भी वहां से टमटा नाले, सौ आदमी सुवर्णों को ले जाकर के पहली मर्तबा इन शिल्पकारों का पानी पिया।

मेरे कहने का जो कुछ तात्पर्य है, वह यह है कि गृह मंत्री जी अगर आपके मन में सही मायने में हरिजनों के लिए या देश में किसी पिछड़े हुए अंग के लिए कुछ करने का है, तो फिर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको खाली अपनी इन सरकारी कृत्यों से नहीं, बल्कि सरकार के आचरण और व्यव-हार से भी आपकी सरकार में जो लोग हैं, उनके मानसिक और शारीरिक व्यवहार से भी ऐसा लगना चाहिए कि वे भी कहीं न कहीं समता या बराबरी के पोषक हैं, वर्ना इसका कोई हल नहीं हो सकता । मेरी

[श्री लाडली मोहन निगम]

समझ में नहीं आता कि जो लांस नायक खीमा नंद को लेकर मामला हुआ है, वह तो फौज का आदमी है 32 वर्ष की आजादी के बाद भी आज हम फौज में, मामूली फौजी के दिमाग में, समता और बराबरी की बात पैदा नहीं कर सके, इस से बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? घर मंत्री जी, आपको मालूम है कि आज भी फौज में कहीं मराठा, कहीं भील, कहीं किसी और नाम, सिख नाम से, पलटन बनाते जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे आजादी आंदोलन में इसी भारतीय फौज से, आजाद हिन्द फौज की जो नई फौज तैयार की गई थी, जिसके अन्दर किसी तरीके का भेद-भाव नहीं था--यह देश का दुर्भाग्य रहा कि आजाद हिन्दफौज के बाद, अगर वे फौजी जो पकड़े गए थे, शाहनवाज खान से लेकर दूसरे आदमी, अगर उन्हें फौज में पुनः बहाल कर दिया होता, और अगर लोगों ने अपने राजनैतिक स्वार्थ न साधे होते तो हिन्दुस्तान की फौज का चरित्र ही दूसरा होता, आज उस में खीमानन्द जैसे फौजी पैदा नहीं हुए होते। तो आप लोग कुछ फौज के अन्दर भी इसका इन्तजाम कीजिये, पुलिस के बाद, मानसिक शिक्षण के साथ-साथ कुछ सामाजिक और बराबरी और समानता की बात करिए। उनके अंदर जो राग-द्वेष है उस को दूर करने की कोशिश करिये, क्योंकि वे ही आप के हथियार हैं जिससे आप न्याय, व्यवस्था और शक्ति की बात करते हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड टाइब्स कमीशन बनाने की बात कहीं थी। आज वह बिलकुल मृतप्राय पड़ा हुआ है; एक तरह से दर्शनीय बन गये हैं, या मैं कहूं, बद्रीनाथ के मंदिर में बैठे देवता जैसे हो गये हैं। क्यों नहीं आप ऐसी व्यवस्था करते कि यह जो आप कमीशन बनाते हैं, उसको आप बैकवर्ड कमीशन कहिये या शिड्यूल्ड कास्ट कमशीन कहिए, उसको पीनल पावर्स दीजिये, जहां कोई ऐसी घटना घटे वह जांच करे और वह एक इंडिपेन्डेन्ट कमीशन हो। जिस तरह से और अदालतें होती हैं उसी तरह से मुकम्मिल बना दीजिए। जहां कहीं ऐसी घटना हो वहां कमीशन मामलों की सुनवाई करेगा। यह जो मामूली अदालतों में काम-धाम होता है वह उसमें नहीं हो। अगर आप यह कर सकें तो मैं समझता हूं शायद आप कुछ कर सकते हैं। उन कमीशंस को पूर्ण अधिकार दीजिए, ऊपर से नीचे तक, कांस्टीट्यूशन द्वारा अधिकार दीजिये, उनको सजा देने का अधिकार दीजिये, तब जाकर उन की हैसियत बनेगी। नहीं तो फिर ऐसा होता है, मैं एक खास जाति में पैदा होती है यह ख्याल एक राजनैतिक वोट बैंक के नाम पर उसका इस्तेमाल करते हैं जैसे 30-32 वर्ष तक हिन्दुस्तान के लोगों ने जगजीवन राम को किया है। जैसे एक बहेलिया होता है, चिड़ीमार, जो चिड़िया पकड़ता है, पेड़ पर चिड़िया बैठी रहती है तो एक लकड़ी में लासा लगा कर खींचता है और धीमे से चिपकी चिड़िया पकड़ कर झोली में रख लेता है। उसी तरह से हिन्दुस्तान में कांग्रेस ने कुछ हरिजन नेताओं को उन बहेलियों का रूप दे दिया है, जो उनके नाम पर खाली सट्टा करते हैं। इससे समाज-परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप को बनाना है तो एक नया समन्वय करना पड़ेगा। अगर हिन्दुस्तान के हरिजनों को नया हरिजन बनाना है, मकवाणा साहब, तो उसके लिये अम्बेडकर की तेजस्विता का भी समावेश होना चाहिये लेकिन साथ ही साथ आप से यह भी निवेदन है कि उस में जगजीवन राम की चापलूसी नहीं होनी चाहिए। इसमें दोनों से अलग हट कर कुछ बनाओगे तो कुछ शायद नया समाज बनेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, शुरू में मैंने कहा कि उन बातों पर नहीं जाऊंगा जो और लोगों ने कहीं, मैं बहुत अदब के साथ यही कहना चाहता हूं कि जो शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कमीशन है, इस को पीनल पावर्स दीजिये। जहां कहीं ऐसे दंगे होते हों - यह मैं आप को बता देना चाहता हूं कि सिर्फ सांप्रदायिक दंगा हिन्दू-मुसलमान का ही नहीं, जहां कहीं ऐसे जातीय दंगे होते हैं--उसके बारे में अगर आप में ईमानदारी है तो मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, आप उसी बिरादरी से आते हैं मंत्री जी और उस दुख को समझते हैं, शायद हम से ज्यादा समझते हैं--आप कोई ऐसा कानून लाइए इस सदन में

कि जो भी ऐसा हालतों में दंगों में, जान माल की हानि होगी उस की सारी भरपाई सरकार के खजाने से होगी और जब यह मामला शुरू होगा तो स्वाभाविक है कि जिलाधीशों के और अफसरान के कान आप पकड़ सकते हैं जो तटस्थ होकर बैठ जाते हैं। नहीं तो क्या वजह है 9 तारीख को घटना घटी, रात को 3 बजे चौकीदार जा कर सूचना देता है वहां से रानीखेत जाकर 10 बजे। 14 तारीख को जा कर पोस्ट मार्टम होता है। घटना कैसे घटी, उस पर बहस नहीं करो, वह तकनीकी चीज है, वह जांच का विषय है, आप कहते हैं हम जांच कमीशन बना कर कर लेंगे, लेकिन यह जो 9 और 14 तारीख के बीच का फासला है, यह क्या किस्सा है ? और आज हालत यह है कि सारा पहाड़ नफरत में झुलस रहा है। वहां पर ठेकेदारों का स्वार्थ है, दूसरे लोगों का स्वार्थ है जो सारे इलाके में नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। अगर सरकार कोई निरोधात्मक कदम नहीं उठायेगी ताकि घटना से पहले ही लोगों को डर बना रहे जैसे कि कल मैं सड़क पर छुरा ले कर निकलूं तो पुलिस तलाशी लेगी और पकड़ लेगी, यह डर नहीं रहेगा तो समस्या हल नहीं हो सकती। तो कानून बना दो कि जहां दंगा होगा, जो भी नुकसान होगा उस को भरपाई सरकार करेगी। पुलिस कांस्टेबिलों को नये तरीके से शिक्षा दो।

एक बात और आखिर में कहना चाहता हूं। पुलिस में, न्यायव्यवस्था में जब तक हिन्दुस्तान के पिछड़े हुए लोगों को आप आनुपातिक ढंग से नौकरियां नहीं देते तब तक ऐसे मामले घटते रहेंगे। यह बात सही है कि सवर्णों के बेटों को भी आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो। कैसे दोगे? आज तक जिस ढांचे को चला रहे हैं वह औपनिवेशिक ढांचा है जिस के अन्दर कोई नयी रोशनी मुझ को नजर नहीं आती। हाथ से काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि उन को डर है कि हरिजनों के साथ यह होगा तो सब निर्माण कार्य बन्द हो जायेगा। क्यों नहीं होना चाहिए। बड़े-बड़े धर्मध्वजों को पहले मैंने देखा है फिरंगियों के कमोड और उन की गोश्त की पेटियां ढोते हुए। और आज वही ऊंची जाति का अहम आज इस भेदभाव को और चौड़ा करने में लगा है। आप खुद अन्दाजा लगाइए। पिछले 30 वर्ष में हिन्दुस्तान की सरकार अरबों रुपया खर्च कर के सिर्फ 20 लाख नये रोजगार पैदा कर सकी है। जैसे रोजगार आप ने बनाये हैं उन में आगे कोई गुंजाइश नहीं है कि शिल्पकार या उस का बेटा नौकरी पा सके। हमारे यहां मध्य प्रदेश में बड़े कारखानों में भेल का कारखाना है। वहां तीस हजार आदमी काम करते हैं। आप को, उपसभाध्यक्ष महोदय, जान कर ताज्जुब होगा कि उन तीस हजार आदमियों में 20 हजार अफसर हैं, 10 हजार हाथ से काम करने वाले हैं। मेरा मतलब है कि यह सवर्णमुखी समस्या है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस के लिए आप को संविधान में संशोधन करना पड़े तो मैं और मेरी पार्टी आप के साथ खड़े होंगे। और संशोधनों की बात तो बाजार में चल रही है, सारे देश में चल रही है कि इस वक्त राष्ट्रपति के तरीके का शासन होगा, संघीय शासन नहीं होगा या कोई और होगा। क्यों नहीं देश में इस तरह की भावना बनायी जाय कि ऐसी सरकार आयी है जो ऐसे संशोधन-परिवर्तन करने जा रही है कि अगर कोई जान-माल का नुकसान होगा, कोई दंगा, कोई वर्ण-संघर्ष होगा तो वह पीनल आफेंस होगा। ऐसा पिछड़े लोगों में विश्वास जमाइए। बस इतना ही मुझे को कहना है। मैं उन चीजों को नहीं दोहरा रहा हूं जो मेरे दोस्तों ने कही, वह तो घटना के बारे में था। मेरे मन में यह है कि कैसे इस को हल किया जा सकता है। आज भी उस पीढ़ी के लोग हैं, आजादी के जमाने के, जिन्होंने अंग्रेजों की साजिश नाकामयाब की, याद रखिए कि उन्हीं के बेटों ने इस '80 में आजादी के 30-32 वर्ष के बाद सारी परम्पराओं को तोड़ कर रख दिया है। उस परम्परा को बचाना है। आप को बहुत मजबूत मन से पिछड़ों में विश्वास पैदा करना है। यह आत्मविश्वास अगर आप ने पैदा कर दिया तो शायद हो सकता है कि आने वाले जमाने में देश को आग में जाने से बचा सको।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The hon. Member has made many

[Shri Yoginder Makwana]

suggestions. We will take them into consideration.

**श्री शिवचन्द्र झा** (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है इस घटना के मुताल्लिक उस में जो कारण हैं, मानस है वह सिर्फ अल्मोडा जिले में ही नहीं बल्कि भारत के और देहातों में भी है। रस्सी जल गयी पर ऐंठन न गयी। यह मानस वहां ही नहीं, अल्मोडा में ही नहीं, बिहार के गांवों में और दूसरे गांवों में भी है। यह बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है कि यह मानस आजादी के बाद भी कायम है, व्याप्त है जिस से एक घटना ही नहीं और भी घटनाएं हो सकती हैं जिस की सम्भावनाएं बहुत हैं। तो इसको दूर करने का जो इन्हों ने थोड़ा-बहुत सुझाव दिया है, कदम उठाया है वह संतोषजनक नहीं है। लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगा, आखिर में। इस मानस को कैसे तैयार किया जाय, ताकि यह घटनायें जो डोली पर बारात आ रही थी और वहां पर जो दूल्हा था उस को उतरना पड़ा, आज के विज्ञान के युग में यह घटना बहुत अशोभनीय है और इस प्रकार की घटनाओं के लिये ही समाज के नौजवानों का तकाजा हो जाता है कि वे उन के खिलाफ विद्रोह करें। सरकार के आने की बात बाद में आती है। नौजवानी का तकाजा हो जाता है कि वह ऐसी प्रथाओं के खिलाफ उठें और उस में वादविवाद कितना ही हो, वह एक स्वागत की बात हो जाती है, अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि ऐसा करने वाले नौजवान ही वहां क्रान्ति को मशाल जलाते हैं। लेकिन ऐसे मानस के बारे में मैं बाद में कुछ कहूंगा। सवाल यह है कि आज हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। आंकड़े दिये गये हैं आज सुबह के जवाब में भी, और वे मेरे पास भी हैं। इस साल के तीन महीनों में, जनवरी, फरवरी और मार्च में 2907 घटनायें हुई हैं जिस में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, मध्य प्रदेश सेकिंड है, बिहार थर्ड है और राजस्थान फोर्थ है और इस तरह से ये घटनायें हुई हैं। फिर यहां वादविवाद उठा कि इंडिया टूडे के हिसाब से यह कम है या दूसरी जगहों के आंकड़े कुछ दूसरे हैं, लेकिन हमको देखना यह चाहिए कि इन घटनाओं की जड़ में कारण क्या है। एक के बाद दूसरी घटनायें होती जा रही हैं और कारण का कोई निराकरण नहीं हो पाता है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे कोई हल नहीं निकलता, लेकिन यह बात उन्हीं के फायदे की है। सुबह का जो मंत्री जी का जवाब था उस के अनुसार जो उन्होंने चिट्ठी दी है गवर्नरों को और मुख्य मंत्रियों को उस से एक नक्शा सामने आता है और मैं उस को भी उस के साथ जोड़ता हूं कि इन घटनाओं के कारण खोजने के कुछ प्रयास हो रहे हैं और उस में दिया है कि इस का कारण सोशियो इकोनामिक है। जमीन का मसला है, अन-इम्प्लायमेंट की बात है, उन की मजदूरी का मसला है, इन सब को ले कर विवाद बढ़ता है और आखिर में टकराव होता है और हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। फिर क्या होना चाहिए उस के लिये प्रिवेंटिव एंड प्रिकाशनरी मेजर्स भी बताये गये हैं और साथ ही साथ तात्कालिक रिहेबिलिटेशन की बात भी कही गयी है। आउट लाइन इतनी खराब नहीं है, लेकिन जब उस को क्रियान्वित करने की बात आती है तो वे स्वयं भी यह महसूस करते हैं कि उस में उन की कुछ ढिलाई है। उन की सुस्ती है। मैं उस ओर ही ध्यान खींचना चाहता हूं। जैसे एक सवाल के जवाब में है कि जमीन को ले कर विवाद हुआ। उन को बसाने के लिये जो पब्लिक लैंड है उस को वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग दखल कर लेते हैं और हरिजनों को उसे लेने नहीं देते और फिर उस पर डिस्प्यूट चलता है। वह भूमिहीन लोग हैं। आम तौर पर यह खेतिहर मजदूर हैं और इसी तरह का काम वे लोग करते हैं। 66 परसेंट जो बांडेड लेबर हैं या हरिजन लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं वह इन में आते हैं और यह बात सही है, लेकिन सवाल यह है कि जमीन के मामले में जो विवाद होता है और उसे ले कर हरिजनों पर जो जुल्म और अत्याचार होते हैं और जिन को बंद करने के लिये आप ने राज्यों के गवर्नरों को और मुख्य मंत्रियों को चिट्ठी भेजी है उस में कोई समय की पाबन्दी नहीं है। यह काम आसान हो सकता है। जो जमीन उन को घर बनाने के लिये दी जाती है, जो उन का हक है आप को उस के लिये टार्गेट फिक्स

कर देना चाहिए कि एक साल के अंदर अंदर यह काम हो जाना चाहिए। हर क्वाटॅरली आप उस की रिपोर्ट मंगायें कि कितना काम हुआ है । यह टाइम बाउन्ड प्रोग्राम होना चाहिए । आप की प्राबलम यही है। आप की रिपोर्टें आ रही हैं पिछले तीस साल से, लेकिन यह बीमारी बढ़ ही रही है। कहने और करने में फर्क आ जाता है। समय का तकाजा है कि हम बोलें। इससे एक्जिस्टेंस कायम रहेगी। लेकिन जब कार्यान्वियन की बात आती है तो इनको यह हिम्मत नहीं होती है कि सभी राज्यों को ये लिखें कि एक साल के अन्दर जमीन सम्बन्धी मामलों को लेकर हरिजनों के साथ जो अत्याचार होते हैं, जो झगड़े हो रहे हैं उनको समाप्त करें जो दन का जैसे आप टारगेट बनाते हैं, अग्रिकल्चर में, इंडस्ट्री में, इस तरह का टारगेट आप बनायें और इस प्वाइंट आफ व्यू को आप सामने रखें कि सारे देश में जमीन सम्बन्धी डिस्प्यूट जो भी हैं, जमीन को लेकर जो झगड़े हैं वह खत्म हों। तो मंत्री महोदय, इस प्वायंट की सफाई दें।

फिर बेकारी की बात आ जाती है। फूड फार वर्क प्रोग्राम हैं, हार्ड मैन्यूअल और साफ्ट मैन्यूअल चलते हैं। लेकिन यहां भी इनकी सुस्ती मैं देख रहा हूं। जयप्रकाश कमेटी बनी थी। इमरजेंसी से पहले की बात में कह रहा हूं। जयप्रकाश आन्दोलन के पहले की बात मैं कह रहा हूं। उनकी पूरी कोशिश यह रही है कि समाज का नवनिर्माण हो जिसमें सुचेता कृपलानी भी थीं। उस कमेटी का सुझाव था कि अंडर-डेवलप्ड एरियाज में फुल इंप्लायमेंट की पालिसी वर्तमान ढांचे में भी चल सकती है। इसके लिए कुछ बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। पूरी रोजगारी की व्यवस्था जहां हम कर सकते हैं यह रास्ता उन्होंने बताया। यहां भी आप टारगेट बना दें। जहां वीकर सेक्संश हैं, कोई भी वहां अन-इंप्लाइड न रहे, ऐसा टारगेट बना दें। सफट वर्क और हार्ड मैन्यूअल का जो काम है उसके अलावा जो लोग हैं उनके लिए वहां के जिलाअधिकारियों को और राज्य सरकारों को तथा केन्द्र सरकार तीनों की कोशिश होनी चाहिए कि वहां कोई बेकार न रहे । उनको इंप्लायमेंट दिया जाएगा। यह कोई बहुत मुशिकल बात नहीं है। आप एक साल की अवधि निर्धारित कर सकते हैं। एक साल के अन्दर यह काम यदि आप चाहें तो होकर रहेगा। कभी कभी आयरन दिल की भी जरूरत होती है। इमरजेंसी लगाने के लिए नहीं। उसके लिए तो आप आदी हैं। लेकिन जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए अगर आप वह आयरन बिल दिखाते हैं, दृढ़ता दिखाते हैं तो सारा देश आपका इस्तकबाल करेगा । लेकिन आप यह मजे में कर सकते हैं । आपने लिखा है कि इसमें कई कारण हैं। लेकिन कोई टाइम यह बात बड़ी गम्भीर है

जहां-जहां हरिजनों के इलाके और बस्तियां हैं इनको दृढ़ता से पकड़ें तो बहुत कुछ समस्या हल हो सकती है। अत्याचार खत्म हो सकते हैं।

अब रिहैबिलिटेशन की बात है। प्रीकाशनरी मीर्जस आप ले रहे हैं, लेकिन रिहेबिलिटेशन की जो बात करते हैं किस तरह से उनको आपने रिहैबिलिटेट किया? सुबह के जवाब से बहुत सी बातें आती हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसे जहां पर सामूहिक रूप से जुल्म होते हैं, इसके बाद में ऐसे गांवों या स्थानों में जहां सामूहिक रूप से लोग मारे जाते हैं, ऐसे गांवों को आप माडल विलेज में बदल दें। पिपरा कांड हुआ, उनको माडल स्कीम में आप ले लें। जो कार्यवाही करते हैं वह करें लेकिन उनके पुनर्निर्माण के लिए जो गांव नष्ट हुए हैं उनको माडल स्कीम में लें ताकि गांव वालों को लगे कि भारत के इतिहास में उनका पुनर्जन्म हुआ है। एक नई रोशनी वह गांव देगा। इस तरह की स्कीमें आप बनायें।

3 P.M.

माडल विलिज में क्या-क्या बातें होती हैं यह आप सब जानते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उसमें स्कूल होते हैं, कालेज होते हैं, सफाई आदि का प्रबन्ध होता है, सड़कें होती हैं, पानी की व्यवस्था होती है, ये सब बातें उसमें होती हैं। मैंने भी अपने गांव में माडल विलिज बनाने की बात चलाई हैं। जहां किसी गांव में जुल्म होते हैं माडल विलिज स्कीम में लाया जाए। मैं देख रहा हूं इस ओर आप कुछ नहीं कर रहे हैं।

[श्री शिव चन्द्र झा]

आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं मानस के संबंध में। गांव में दूल्हे को घोड़े पर से उतार दिया गया। ये बातें हम लोग रोज देखते हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं, सारे देश से कहना चाहता हूं कि इस मानस को बनाने में आप सब सहयोग दें। इस मानस को तोड़ने में यदि किसी की बड़ी देन रही है तो सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों को भी मैं इस लिस्ट में रखता हूं। जहां भी ये लोग होते हैं वे इसको तोड़ने में सहयोग देते हैं और अपने लोगों के साथ मिलाकर ऐसा करने के लिये कहते हैं। सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों की बड़ी देन है इस मानस को तोड़ने में।

अभी रामानन्द जी ने बताया कि हजारों वर्षों से वर्ण व्यवस्था चली आ रही है लेकिन आपमें क्या हिम्मत है ऐसा कहने की जैसा कि गीता में लिखा है चतुर्वर्णायम्। कृष्ण ने कहा है कि चारों वर्णों को बनाने वाला मैं हूं। आप में हिम्मत है यह कहने की। समाज में वैस्टेड इंटरेस्ट को रखने के लिये यह गीता में लिखा गया। यह कृष्ण की आवाज नहीं है बल्कि उस बनावट को मेनटेन करने के लिये उसे लिखा गया है, कृष्ण के मुंह से कहलवाया गया है। आज के युग में यह चलने को नहीं है। पुराने शास्त्रों और ग्रंथों का साइंटिफिक इन्टरप्रेटेशन देने के लिए आपको शिक्षा नीति में परिवर्तन लाना होगा। क्या आप में हिम्मत है कि जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं उनको डर्विन आप पढ़ाएं, मार्क्स आप पढ़ायें ताकि वह समझ सकें कि समाज कैसे बना है। यह मैन मेड समाज है। उसमें परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। किसी के कहने से मैन मेड हो जाता है ऐसी बात नहीं है। इसमें हमें इन्कलाब लाना होगा, बुनियादी परिवर्तन करना होगा। यह हिम्मत आपको लानी है। शिक्षा नीति में भी आपको परिवर्तन लाना होगा। वह आपसे होता नहीं है। ऐसे मानस को आपको बदलना होगा। यह जो दूल्हे को घोड़े पर से उतारने की बात है यह चीज हर जगह व्याप्त है। यह सब तभी दूर हो सकता है जब हम शिक्षा नीति में परिवर्तन लायें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो नौजवान इसमें सहयोग देते हैं उनके लिये आपको एक हवा बनानी होगी जिस से वे डिस्करेज हों। जो नौजवान इस तरह का व्यवहार करते हैं, जो इसके लिये रिस्पोंसिबल हैं अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है तो उसको नौकरी मत दीजिए, तरजीह मत दीजिए। इस तरह से डिसकरेज का वातावरण आप बनाइये। ये जो हरिजनों पर एट्रासिटीज होती हैं इनको रोकना बहुत जरूरी है। आपने कहा है कि हमने 10 हजार रुपये दिये हैं और स्टेट गवर्नमेन्ट ने दो हजार रुपये दिये हैं। लेकिन केवलमात्र रुपये देने से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। हरिजनों पर एट्रोसिटीज खत्म करने के लिए कोई स्कीम बनाई जानी चाहिए। जिन लोगों पर अत्याचार होते हैं उनके लिए आप मॉडल विलेजज बनाइये। उन लोगों को 10 हजार, 25 हजार या अधिक रुपये दीजिये। उनको फुल इम्प्लोयमेन्ट दीजिये। उनमें से कोई भी परिवार का सदस्य बेकार नहीं रहना चाहिए। उनके लिए मॉडर्न और मॉडल विलेजज बनाये जाने चाहिए। हरिजनों पर एट्रासिटीज के लिए कोई इंसुरेन्स पालिसी जैसी योजना नेशनल लेवल पर बनाई जानी चाहिए।

जहां तक पुलिस के महकमे का सवाल है, मैं यह नहीं समझता हूं कि हरिजनों को इस विभाग में भर्ती करने से यह समस्या हल हो जाएगी। इसके लिए हमें पुलिस में पूरा परिवर्तन लाना होगा।

**श्री हरी शंकर भाभड़ा** (राजस्थान) : आपने अभी मॉडर्न विलेजज की बात कही है। क्या इसका प्रभाव यह नहीं हो सकता है कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हरिजनों पर अत्याचार और बढ़ जायें क्योंकि लोग समझेंगे कि अगर हरिजनों को साफ कर दिया जाएगा तो उनका गांव मॉडर्नाइज हो जाएगा ?

**श्री शिव चन्द्र झा** : इसी हजारों वर्षों की मानसिक गुलामी के कारण ही से तो यह समस्या हल नहीं हो रही है।

जहां तक पुलिस में हरिजनों को भर्ती करने का सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप पुलिस के महकमे को डेमोक्रेटाइज कीजिये। जनता के आदमियों को एस.पी. और

डी.एस.पी. बनाया जाना चाहिए । जब तक आप पुलिस के महकमे को डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे, जनता को इस विभाग में इन्वाल्व नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं । आप पूंजीवाद और समाजवाद की बात छोड़ दीजिये । आप पहले पुलिस विभाग को डेमोक्रेटाइज कीजिये और इस दिशा में कदम उठाइये ।

**श्री योगेन्द्र मकवाणा** : माननीय सदस्य ने जो सजेशन्स दिये हैं उनको मैंने नोट कर लिया है । लेकिन मैं श्री शिव चन्द्र झा जी से एक बात कहना चाहता हूं । मैंने हाउस में तीन महीने के आंकड़े दिये हैं । उनमें मैंने बताया है कि यू.पी. और बिहार में 2907 में से 2300 मामले यू.पी. और बिहार में हुए हैं । ये दोनों हिन्दी भाषी राज्य हैं । हम इस मामले में माननीय सदस्य का सहयोग चाहते हैं । उन्होंने गीता के बारे में कहा । मैं चाहता हूं कि वे लोगों में जायें और इन बातों का प्रचार करें और उनको सारी बातें बतायें ।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** (उत्तर प्रदेश) : यह प्रश्न सिर्फ हिन्दी भाषी राज्यों का ही नहीं है। आप अगर सन् 1975 के आंकड़े देखें तो उस साल वहां ऐसे मामले कम हुए हैं ।

**श्री कलराज मिश्र** (उत्तर प्रदेश): श्रीमान् इस सम्बन्ध में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(THE VICE-CHAIRMAN SHRI R. R. MORARKA); Please sit down.

**श्री बुद्ध प्रिय मौर्य**: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जिस समय इस तरह की घटनाओं पर विचार होता है तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि अभी यह देश स्वतंत्र नहीं हुआ है। 33 वर्षों की आजादी के बाद भी स्वतन्त्र भारत में बेलची, पारसबिघा, पिपरा, आगरा, हाथरस और कफालता इस तरह की जो घटनायें होती हैं तो भारत के सभी नेताओं चाहे वे सत्तारूढ़ पार्टी से सम्बन्ध रखते हों या विरोधी दल से उनका और भारत के सभी बुद्धि जीवियों और श्रम जीवियों का मस्तिष्क पूरी दुनिया के सामने झुक जाता है। इसलिये इस समस्या का हल निश्चित पूर्वक गंभीरता के साथ मनन करने के बाद हमको निकालना होगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, पहला तो मेरा निवेदन यह है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कमिशनर की रिपोर्ट बहुत दिन की आई हुई पड़ी है, इस पर विस्तार में चर्चा जितनी जल्दी हो सके हो जानी चाहिए उसमें बहुत सी ऐसी सिफारिशें हैं जिन पर अमल किया जाना आवश्यक है ताकि इस तरह की घटनाओं में काफी हद तक रोकथाम हो सके। माननीय गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है उन्होंने एक आरोप विशेषतौर से विरोधीदलों पर लगाया था कि विरोधी दलों इस तरह की घटनाओं से पोलिटिकल कैपिटल नहीं बनाना चाहिए। आप मेरी बात का बुरा न मानिये मैं कहता हूं कि अगर इस काम में किसी ने एक्सपार्टी प्राप्त की है तो वह आपके नेता ने प्राप्त की है । क्योंकि बेलची जाना और पारसबिघा न जाना, बेलची जाना और पिपरा न जाना, जहां पर कि किसी की आंख नहीं फूटी किसी की टांग नहीं टूटी, किसी का सिर नहीं फूटा, वहां पर जाना। सिनेमा संसार में हमारी माननीय सदस्या नरगिस बहुत बड़ी कलाकार रही हैं। सिनेमा में नरगिस जैसी महान कलाकार भी ग्लिसरीन आंखों में लगाकर रोने का पार्ट अदा करती हैं लेकिन आपकी नेता तो बगैर ग्लिसरीन लगाये ही रोने का पार्ट भी अदा करती हैं। नारायण पुर में जा करके. . .

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, on a point of order.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: I am not yielding.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: You may not yield. I am on a Point of order. *{Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA); $H_e$ is on a point of order.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Is it permissible to make such an allegation against the Prime Minister and to describe the things in this way? After all, she is the Prime Minister of this country.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: You should learn from me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Order please. Mr. Maurya, you go on.

**श्री कलराज मिश्र** : नारायणपुर के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर प्रधानमंत्री के जाने के बाद रिपोर्ट आई थी कि वहां महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। इस सम्बन्ध में मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि गोरखपुर से कुछ वेश्याओं को ले जा करके नारायणपुर में यह कहलवाया गया था कि तुम यह कहो कि तुम्हारे साथ बलात्कार किया गया है। गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह जो कि उत्तर प्रदेश में मन्त्री हैं उनसे वेश्याओं ने अपने पैसों की मांग की । उन्होंने कहा कि तुम हमें वहां ले गये थे और हमें अपमानित किया तो वे कन्नी काटने लगे। उन्होंने उनको पैसा भी नहीं दिया। यह घटना गोरखपुर में हुई। यह चुनाव के समय की बात है जब कि नामिनेशन पेपर फाइल हो रहे थे।

*(Interruptions)*

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य: श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि.. *(Interruptions)*

**श्रीमती हामिदा हबीबुल्लह** (उत्तर प्रदेश): यह बात बड़ी गम्भीर है.. *(Interruptions)* मजाक उड़ा रहे हैं आप... *(Interruptions)* ग्लीसरीन लगा करके इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं *(Interruptinos)* यह मजाक कर रहा था कि... *(Interruptinos)*

**श्री कलराज मिश्र** : यह मजाक नहीं है। यह तथ्यों पर आधारित है। गृह मंत्री महोदय इसकी जांच करा लें। गोरखपुर कचहरी में सैकड़ों लोगों के सामने यह घटना हुई।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA); Order please, order please. *(Interruptions).* The hon. lady Member may sit down. The hon. Home Minister haa raised the point of order. There is no point of order in that. Now I request Mr. Maurya to go on.

**श्री बुद्ध प्रिय मौर्य**: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था। मुझे ताज्जुब हुआ थोड़ा सा सत्य जब गृह मंत्री जी को स्वीकार नहीं हुआ। एक शोषित मां की कोख से उन्होंने जन्म लिया है जिसके कारण आज वे गद्दी पर विराजमान हैं । जब उनकी हत्यायें होती है, उनका निरादर होता है, उनके साथ बलात्कार होता है तो वह उनको बर्दाश्त हो जाता है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह मैंने नारायणपुर के बारे में कहा । वहां किसी की हत्या नहीं हुई थी। वहां पर किसी के साथ बलात्कार नहीं हुआ था लेकिन वहां पर माननीय प्रधान मंत्री जी कृपा कर के गई। मुझे समझने में परेशानी होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जहां पर एक बेटी दुल्हन बन कर हमेशा के लिये गृहस्थ जीवन से निवृत हो गई, जहां पर एक दुल्हा बन कर पता नहीं उसके मन में क्या-क्या भावनाएं होंगी उसका जीवन समाप्त हो गया। बाराती खुश हो कर गये थे बेटे का विवाह करने लेकिन उन बारातियों में से 15 को एक कमरे में बंद कर के आग लगा कर उनकी हत्या कर दी गई। 6 को घर में जला दिया गया और जो घर से बाहर निकले उनमें से 8 की निमर्म हत्या कर दी गई। तथा एक आदमी अस्पताल में मर गया। इतना बड़ा हत्याकांड और माननीय प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला। यह कहा कि समय नहीं है । वे चुनाव के प्रचार में लगी थी, प्रसार में लगी थी । ऐसे जनतंत्र से मेरे जैसा व्यक्ति क्या आशा कर सकता है। जिस जनतंत्र की प्रधानमंत्री वोट की लालच में जगह जगह पर घूमे, 24 घंटे में 30 मीटिंगें करें अपने दल को सत्ता में लाने के लिये और देश में शोषित समाज की निमर्म हत्यायें न हों उसके लिये वहां जा कर यह बतायें इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी सदन में हमने देखा था माननीय आडवाणी जी ने कुछ कह दिया था तो वे इस तरह से पेश आई कि मुझे बहुत अफसोस और ताज्जुब हुआ। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे मन में सफाई नहीं। यदि हमारा मन साफ हो तो इसका अंत हो सकता है। अब मैं

फिर पीछे चलता हूं। अब केबीनेट के फार्मेशन की ओर आता हूं। मैं जातियों पर जाने में विश्वास नहीं करता लेकिन यह बात अपनी जगह पर सत्य है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज दुनियां की आबादी को यदि 450 करोड़ मान लिया जाये तो पूरी दुनियां में करीब 70 करोड़ इन्सान गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। इन 70 करोड़ इन्सानों में से 35 करोड़ इन्सान इस भारतवर्ष में गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। इन 35 करोड़ में से हालांकि इसमें हर धर्म और जाति के लोग ब्राह्मण से भंगी तक, हिन्दू से मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आस्तिक और नास्तिक सब शामिल हैं, हर धर्म और जाति के हैं लेकन माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह भी अपनी जगह पर सत्य है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इसमें 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय गृह मंत्री जी क्या उनके पास कोई ऐसा अप्रेटस है, ऐसी मशीनरी उन्होंने पैदा की है जो यह बता सके कि भारतवर्ष में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग गरीबी की रेखा के नीचे किस अनुपात में हैं। क्या वे यह सब मालूम करेंगे? अगर वे यह मालूम कर सकें तो फिर उसका इलाज सोचा जा सकता है। उसके रास्ते निकाले जा सकते हैं। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के सही आंकड़े 25 प्रतिशत आते हैं। आपके सरकारी आंकड़े 22.5 प्रतिशत कहते हैं लेकिन मैं इन आंकड़ों को इसलिए नहीं मानता क्योंकि शैड्यूल्ड कास्ट का पूर्वी उत्तर-प्रदेश का चमार या भंगी भाग कर बम्बई जाता है तो वह अपने आपको शैड्यूल्ड कास्ट नहीं बताता। वह अपने को कुछ और बताता है। ठीक यही हालत कलकत्ता और मद्रास की है। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी 25 % है अगर 25% के हिसाब से उनके लिए सरकारी नौकरियां छोड़ दी जाएं तो उसमें मुसीबत आ सकती है, परेशानी हो सकती है, यू.पी.एस.सी. कमीशन की परेशानी, रिटन टेस्ट की परेशानी हो सकती है लेकिन आपके यहां क्या परेशानी है। जब आपके मंत्रालय में एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कभी हिन्दुस्तान का नक्शा अपने हाथ से न बनाया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई परीक्षा पास न की हो जब ऐसा व्यक्ति आपके देश में गृह मंत्री बन सकता है तो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के इतने सदस्य आपके दल में नहीं हैं? शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य 25% के हिसाब से आपकी केबीनेट में हों। मैं यहां पर यह कह देना चाहता हूं कि आज भी वही पुराना रवैया चल रहा है जो पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने में था कि शैड्यूल्ड कास्ट का एक ले लिया और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की कोई जरूरत नहीं है। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की आबादी के लिहाज से केबीनेट में मंत्री लिए जाएं और तेजस्वी लिए जाएं जो उनकी समस्याओं को ठीक तरह से रख सकें जैसे परमपूज्य डा. बाबा अम्बेदकर रखा करते थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपके मन में सफाई है। मैंने आज क्वेश्चन आवर में आपसे कहा था। मैं माननीय गृह मंत्री जी से *(Time bell rings)* मुझे दो-मिनट दें मैं खत्म कर दूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आपके यहां पर शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइर्ब के कितने सब इंस्पेक्टर हैं पूरे हिन्दुस्तान में और उन सब इंस्पेक्टर्स में से कितने हैं जिनका पांच साल या दस साल का तजुर्बा है और उनमें से कितने हैं जिनको अभी भी आपने पुलिस स्टेशन इंचार्ज नहीं बनाया है। शैड्यूल कास्ट के लोग पुलिस इंचार्ज बनाये जायें, शैड्यूल कास्ट के लोगों के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट करके शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल ट्राइर्ब के लोगों को बार्डर सिक्योरिटी फोर्स, पी. ए. सी. में, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में या दूसरी पैरा मिलिटरी फोर्सेज में आबादी के हिसाब से लिया जाये तो मुझे विश्वास है कि आपको इस तरह की घटनाएं सुनने को नहीं मिलेंगी। जब हिन्दुस्तान के सत्ताधारी दल को तथा विरोधी दल के लोगों को भी रिजर्व सीट पर असेम्बलीज और पार्लियामेंट के लिए लेजिस्लेटर्स कानून बनाने के लिए मिल जाते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको बन्दूक चलाने वाले सिपाही क्यों नहीं मिलते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि एक मामूली सब इंस्पेक्टर नहीं मिलता है। आपको क्यों नहीं मिलता है यह आपके मन का फर्क है। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। लेण्ड रिफार्म को कहानी, लेण्ड रिफार्म की बात पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने में जिस

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य]

समय आयी थी, मैं भी उस समय अपने ढंग से उनकी इज्जत करता था, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की भी लेकिन वे एक ऐसे पहले मुख्य मंत्री थे जिन्होंने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे जहां पर लैण्ड रिफार्म करो लेकिन मेरे पहाड़ी इलाके में यह नहीं होगा। जब तक वे जीवित रहे उन्होंने लैण्ड रिफार्म नहीं होने दिया। क्या आप लैण्ड रिफार्म भूमि सुधार को मजबूती के साथ लागू करेंगे। आप नहीं लागू कर पाये हैं 30 वर्षों में। अगर लैण्ड रिफार्म आप मजबूती से लागू कर सकें तो मेरा ख्याल है कि कुछ उसके नतीजे निकलेंगे। गृह मंत्री जी आपने बार बार सवालों के जवाब में कहा है और अभी भी बार बार कालिंग अटेंशन में कह रहे हैं कि शिडयूल कास्टस के ऊपर जो जुल्म होते हैं वे आर्थिक अवस्था की वजह से होते हैं। आर्थिक तरीके से वे बहुत ज्यादा शोषित और पिछड़े हैं। मैं मानता हूं पर आर्थिक के साथ साथ इसमें सामाजिक भी और जोड़ दिया कीजिये। आर्थिक तो और भी गरीब हैं पर समाज में भी पिछड़े हैं। शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब कमिश्नर ने एक सिफारिश की कि फाइनेंशियल इंस्टीटयूशंस और नेशनलाईज्ड बैंक 10 सैंकड़ा कम से कम शिडयूल कास्ट और ट्राईब के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उनके कुटीर उद्योगों पर, उनकी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज पर या और उनके प्रोफेशन जो चले आते हैं जिनमें वे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वे खर्च करें। क्या आपने कभी भी इन 33 वर्षों की आजादी में फाइनेंशियल इंस्टीटयूशंस और राष्ट्रीय बैंकों से एक सैंकड़ा भी शिडयूल कास्ट और शिडयूल ट्राइब के ऊपर खर्च किया है। ये कुछ चीजें हैं जिनका आप मनन करें और उनके ऊपर आप विचार करें। मुझे संदेह होता है कि चुनाव के दौरान में इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। मैं इस संदेह को कोई वास्तविकता में नहीं ले जाना चाहता हूं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि गृह मंत्री कफाल्टा क्यों जाते, क्योंकि वहां तो कोई मरा नहीं था। कफाल्टा में हादसा हुआ, एक मामूली सब इंस्पेक्टर से लेकर आई. जी. तक सब इस बात को जानते हैं। जहां पर हादसा होता है सी.आर.पी.सी. में सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि जहां पर हादसा होता है वहां पर जाना चाहिए। लेकिन हमारी जानकारी यह है कि गृह मंत्री जी को भी एडवाईस किया वहां के कलक्टर ने कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे जाते तो पता लगता कि किस तरह से मकान में बरातियों को जलाया गया था। ये श्रीमन् मेरे कुछ सुझाव हैं। इस पर विस्तार में जब शिडयूल कास्ट शिडयूल ट्राईब कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस होगी तब मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा और फिर हम कोई यहां तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। मैंने पहले भी इस सदन में श्रीमन्, कह दिया था कि अब समय आ गया है जब हमारे जैसे लोगों को जिन्होंने शोषित मां की कोखों से जन्म लिया है, हम लोगों में इतनी शक्ति और बुद्धि है कि हम आंकड़े तैयार करें कि कितने जुल्म होते हैं। फिर हम इन्हें यहां इस सदन में पेश करेंगे अथवा दूसरे सदन में पेश करेंगे। हमको ह्यूमन राईट्स के अन्तर्गत अब यू. एन. में जाना पड़ेगा कि आजाद हिन्दुस्तान में शोषित समाज के लोग इतनी बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। श्रीमन् मैंने आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया है बहुत से सुझाव थे मेरे पास, मैं उन्हें नहीं दे पा रहा हूं। आपका आदर करते हुए, आपका सम्मान करते हुए, मैं आपके आदेश पर आपसे निवेदन करूंगा कि आप सरकार से यह कहें कि वे शिडयूल कास्ट शिडयूल ट्राईब कमिश्नर की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी यहां इस सदन में पेश करें ताकि हम उस पर विस्तार में बहस कर सकें। अन्त में मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं :

> "लेता हो जहां से सिस्की का तलेलागर
> मैं ऐसी हकूमत में पिंदार बदल दूंगा,
> फलने न कभी दूंगा मैं जुल्म की टहनी को,
> जालिम तेरी किश्ती का पतवार बदल दूंगा।"

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, I have taken note of what he has said.

SHRI A. G. KULKARNI! (Maharashtra) : Sir, is this Minister's way of replying to an emotional speech by ai person no less than Mr. Maurya who is the leader cf the Scheduled Castes? He should at least respect his feelings and say whether the Commissioner's Report is being placed on the Table of the House or not. That much courtesy he can show. I can appreciate what he wants to say. Let him say he is not going to place it.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The 26th Report has already been placed before the House. The next Report has just been received and we are going to place it.

SHRI! BUDDHA PRIYA MAURYA: I had put very pointed questions. One questions was: Will the Government agree to the recommendation of the Commissioner of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes that 10 per cent of the money of the financial institutions and the nationalised banks should be invested for the betterment and upliftment of the weaker sections of society. The other was: Will the Government enquire to And out how many Scheduled Castes people are there in the police Sub-Inspectors' cadre and how many are in charge of the police stations? I had put three or four questions move. I do not want to repeat them. Those questions should foe replied to. Otherwise, there is no use discussing a Calling Attention Motion.

SHRII YOGENDRA MAKWANA: Sir, may I point out that . .

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): May I...? (Intermpttons) I know my job.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Let the Minister make his point.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, previously he suggested that the Sub-Inspectors and the Assistant Sub-Inspectors should be taken from the Scheduled *Castes* and Scheduled Tribes. I have taken note of it. Now, as regards the number, I cannot give it just now. I have already said that we are considering it.

SHRE B. D. KHOBRAGADE: Sir, one more atrocity has been perpetrated against the Scheduled Caste, people after the Belchi, Pipra and Narainpur incidents, now we learn about the Kafalta atrocious incident, which we are discussing and debating in this House. On previous occasions also we have discussed such atrocious incidents, but after discussion we never find any preventive steps being taken to protect the life and property of the Scheduled Castes and Scheduled Tribe$_s$ in the country. A lot of suggestions are always made in this House, but I do not know what happens to them. So far as the Kafalta incident is concerned, it was pointed out that one week earlier also an attempt was made to carry the bridegroom in a dandi along with the procession of the bridegroom they were prevented from doing so. Naturally, when there was another wedding after a week or so, the police, particularly the CID, should have been aware of the discontent in that particular areas and tfiat if the Scheduled Caste, people were determined to carry the bridegroom in a dandi, there might have been some sort of trouble. Therefore, the police should have at least taken certain precautionary measures so that this atrocious incident could have been averted. I would like to ask from the hon. Minister why the police failed in their duty to avoid this disaster. I would also like to know whether any inquiry has been made and whether any police officer has been found responsible and action has been taken against him. That is the first question. It has also been pointed out that after the incident occurred, there was a lot

of delay in visiting the place and in post-mortem also. I think the officers behaved in a most negligent fashion. Post-mortem should have been done immediately. What is the reason for the delay and has any action been taken against the negligent officers? Thirdly, 1 would like to know whether collective fines have been imposed on the residents of the villages where atrocious incidents have taken place. I would like to suggest that collective fines should be imposed in all such cases so that it could have a deterrent effect on others and they will not indulge in such brutal murders and atrocities. The hon. Minister has said that there is the protection of the Civil Rights Act. My complaint is that it is not being implemented properly and effectivly. What steps does the hon. Minister suggest to implement this Act effectively? As pointed out by Mr. Maurya, there should be a proper investigation machinery. For that purpose there should be a large number of responsible police officers from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Unfortunately, even though there might be some qualified officers, they are side-tracked, they are not appointed as SHOs. This is happning everywhere, and therefore, if you want to protect the life and property of the untouchables, you will have to implement the Protection of Civil Rights Act.

Secondly, it has also been pointed out that such a kind of discrimination is being practised in the U.P., Bihar and other States. It was men- *'.oned that even today the Scheduled Caste people are not allowed to put n a good dress, that they are not allowed to sit on the chair and that they are not allowed to walk in the streets of the villages. If such a discrmination is practised even today, as such incidents have been brought to the notice of the Government, what steps is the Government going to take or is taking to end such a discrimination? Will the Government awaken only when such brutal murders take place or take some effective steps even though no incidents take place but such a discrimination is practised? I suggest that even if there are no such incidents but such a kind of discrimination is practised in any area, the Government should take effective steps against the practice of discrimination. I would like to know what kind of steps t'ne Government is going to take to end such a discrimination wherever it is being practised.

I would like to ask one more question. I do not know whether an investigation has been made properly because always the experience is that some loopholes are kept there. It is only for our satisfaction that we have made an investigation and prosecuted the offenders. But ultimately because of a loophole deliberately kept during investigation the accused get the benefit of doubt and they get acquitted. So, I would like to know from the hon. Minister whether the investigation has been made properly and whether no offender will get any benefit of doubt and all the culprits will be punished accodingly.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: The hon. Member has put some questions. So far as the investigation is concerned, I can assure the hon. Member and the House that a proper investigation will be made and the culprits will be brought to book. Nobody who has indulged in this offence, will be spared.

So far as the delay is concerned, I have described it earlier also and I am also now going to say that the distance is more and the DM reached the place after one day.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: Even then there is an inordinate delay.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: So far as the post-mortem is concern d, because the bodies were lying

scattered and they had to be collect-ed, it took some time, at least two days, because the region is such. So, that took time and, therefor, the delay is there.

Regarding collective fine, it is a good suggestion. 1 have takan a note of it.

So far as the effective implementa- tion of the Act is concerned, we have already written to the State Govern- ments, and in a meeting of the Chief Minister, the Lt. Governors and the Governors called here the Prime Min- ister and the Home Minister have impressed upon them that effective implementation o.f the Civil Rights Act should be done.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: What is the response of the State Govern- ments?

SHRI YOGENDRA MAKWANA:The response of the State Govern-ments is also good. I am myself going to the States where Ii am im- pressing upon the officers that they must take recourse to this Act whe-rever there is discrimination.

SHRI B. D. KHOBRAGADE: What about ending discrimination?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI' R. R. MORARKA); Order please. Mr. Shariq.

**श्री शरीफ उद्दीन शारिक** (जम्मू और काश्मीर): जनाबेवाला, जो तवज्जो दिलाओ नोटिस इस एवान के आनरेबल मेम्बरान के सामने है इस बारे में दोनों तरफ से जिन जज्बात का इजहार किया गया वो वाकई दिलदोज वाकये हैं, रंज देने वाले, दुख देने वाले वाकये हैं और जैसा कि मेरे पेश्तर एक दोस्त ने फर्माया, इस परेशान-हाली के लिये हम सब का सर शर्मन्दगी से झुकना चाहिए। तीस साल से ज्यादा अरसा आजादी को हो गया और हम अभी तक यहां अपने पिछड़े हुए भाइयों को इज्जत और आबरू से जिन्दगी बसर करने देने में कामयाब नहीं हुए हैं। हम इस तरफ या दूसरी तरफ इल्जाम लगाने के लिए बहस-बहसी में पड़ जाये उस के पेश्तर हम अपने गिरहबान को देख लें तो हमें पता चलेगा कि इस में हम सब गुनहगार हैं।

[**The Vice-Chairman (Shri Dinesh Goswami)** in the Chair]

इस हमाम में हम सब नंगे हैं। जिन लोगों को गला फाड़-फाड़ कर बातें बनाने की आदत हो गयी है वे गालिबन अपने को सच समझते हैं, लेकिन बात यह है कि इस में दोष हम सब का है। चाहे हम पोलिटिक्स में हों, एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे हम मुख्तलिफ पार्टियों में हों, चाहे प्रेस वर्कर हों हमने कोई ठोस कदम इस बात के लिये नहीं उठाया है। हम ने गांधी जी के नाम को एक्सप्लाइट करना सीख लिया है, हम बड़े-बड़े उसूलों की बातें करना खूब जान गये हैं, लेकिन उन उसूलों को अमल में लाने के लिए हम तैयार नहीं। हम सिर्फ बातें बनाने में लगे हुए हैं। अगर गांधी जी जिन्दा होते तो क्यों वे भी इसी तरह तकरीरें करते, एक दूसरे पर गन्द उछालते? क्या वे मौके पर नहीं जाते, वे गली-गली और कूचे-कूचे नहीं जाते, जख्मियों के घावों पर मरहम नहीं लगाते, मुसीबतजदों की मुसीबत अपने ऊपर नहीं लेते, क्या वे फाकाकशी नहीं करते, क्या वे मोन-व्रत नहीं रखते और लोगों के जमीर को नहीं बदलते। हमने लोगों के जमीर को नहीं बदला। हम ने ऐसे मामलों से सियासी फायदे उठाने की कोशिश की। हम हर मुसीबत से सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं। ये मुसीबतें बार-बार क्यों पैदा होती हैं? कितने आनरेबिल मेम्बर हैं हमारे अजीम एवान के जो गांवों में गए जो मुसीबत के शिकार लोगों को ढाढ़स देते, मन्दिरों में जाकर गीता सुनाते ऊंची जाति वाले हिन्दुओं को तुम इन गरीब लोगों के खिलाफ नहीं, कृष्ण अवतार के खिलाफ बगावत कर रहे हो, महात्मा गांधी की आत्मा को घायल कर रहे हो, हिन्दुस्तान की धरती लहूलुहान कर रहे हो, यह किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं, एक जाति के खिलाफ नहीं, यह सारे हिन्दुस्तान के खिलाफ जुर्म है और इस जुर्म को जितने मजबूत और संगीन हाथों से दबाया जाये उतना ज्यादा अच्छा है वरना आने वाली नस्लें हमें किसी सूरत में माफ नहीं करेंगी। मैं

[श्री शरीफ उद्दीन शारिक]

आनरेबिल मेम्बर्स से गुजारिश करूंगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज को दूर करने में कामयाब हो जायें तो हमें यह भी देखना है कि अपनी पार्टी के प्रोग्राम को इस तरीके से ढालें कि हम हर जगह पर ऐसे फसादियों को अपने रेंक एंड फाइल में जगह न दें। हम लोगों को अच्छी तरह से इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमें सिर्फ कुर्सियों के लिए नहीं, हमें हिन्दुस्तान की अजमत के लिए लड़ना होगा, हमें महात्मा गांधी के उसूलों को अजीम रखने के लिए लड़ना होगा। तब हिन्दुस्तान रहेगा। हिन्दुस्तान इस वसीह मुल्क का नाम नहीं है। जहां तक हम काश्मीर के लोगों का सवाल है हम हिन्दुस्तान की अजमत को इस लिए नहीं मानते कि यह बहुत बड़ा मुल्क है, इस में 70 करोड़ लोग हैं, हम इस लिए मानते हैं कि हम ने गांधी जैसे फरिश्ते को देखा है, हम ने गांधी के अजीम उसूलों को देखा है और हम ने यकीन किया कि यह ऐसा मुल्क है जहां महावीर है, जहां कृष्ण है, जहां ख्वाजा मोहिउदिन चिश्ती है, जहां निजामुद्दिन औलिया है, जहां सभी लोग छोटे-बड़े, पढ़े हुए, अनपढ़, भाइबन्दी से रहेंगे, अमन और शान्ति से रहेंगे। मेरी प्रार्थना, मेरी अपील तमाम दोस्तों से है, अपोजीशन के दोस्तों से भी अपील है कि इस कौमी मसले को हल करने के लिए और इस किस्म के मसायल को हल करने के लिए हमें वजीरेआजम के हाथ मजबूत करने चाहिए और उन पर जोर डालना चाहिए जिस से एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ जाये। संगीन और सख्त इकदाम ला कर इन बातों को रोका जाये। काश्मीर में यह क्यों नहीं होते। वहां भी हरिजन हैं, वहां भी छोटी जाति के लोग हैं, वहां भी यह तबके हैं लेकिन वहां यह झगड़े नहीं होते इसलिये कि वहां एक ऐसे आदमी के हाथ में हुकूमत है कि जिस ने सही तौर पर गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस में कोई नातेदारी की बात नहीं होनी चाहिए। इस में शूट एट साइज की बात होनी चाहिए। ऐसा करने वालों की गर्दन तोड़ देनी चाहिए। जो हिन्दुस्तान की इज्जत को आंच पहुंचाते हों अपनी शैतानी हर्कतों से, जो हमारे देश की इमेज को खराब करते हों ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। वह लोग जिन से लड़ कर हम ने अपने मुल्क की आजादी हासिल की जब हम अपने भाई का गला काटते देखते हैं कि यहां एक भाई दूसरे भाई के मकान को आग लगा कर जिन्दा जलाता है तो क्या सोचते होंगे। इस के लिये तमाम एवाम को और तमाम सयासी पार्टियों को अपने-अपने ख्यालातों को छोड़ कर इंसानियत के नाते, दयानतदारी के नाते इस दोष के साथ निपटने के लिये आगे बढ़ना चाहिए और आपस में एतकाद करना चाहिए।

**श्री योगेन्द्र मकवाणा:** यह तो सुझाव है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now we will pass en to the next item, Special Mentions. Shri Bagaitkar.

**Referenceto the Reported inhuman living conditions prevailing in the Tihar Jail, Delhi.**

**श्री सदाशिव बागाईतकर** (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, जिस सवाल को आज मुझे आप की मार्फत सदन में रखना है वह हमेशा ही नजरअंदाज किया जाता है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर तिहार जेल के अंदर जिस किस्म की धांधलियां, करप्शन और गड़बड़ियां हो रही हैं उन की तहकीकात के लिये एमीकस क्यूरी के नाते एक जज की नियुक्ति की थी। उन्होंने वहां जा कर जो सारी जांच पड़ताल की और उस के बाद जो तथ्य प्रकाश में आये हैं उस से देश के अंदर जेलों में जो हजारों कैदी हैं उन की क्या दशा है उस पर रोशनी पड़ती है। उपसभापति जी, जेल के बारे में मैं एक अनुभवी व्यक्ति के नाते बोल रहा हूं। जेल से मेरा ताल्लुक कथा-कहानी का नहीं है। मेरे जीवन के दस साल कम से कम जेलों में गुजरे हैं और जो आखिरी दिन थे वह मैंने इमरजेंसी के दौरान 18 महीने जेलों में काटे हैं। देश की कई जेलों में मैं रह चुका हूं। पुरानी रियासतों की जेलें भी मैंने देखी हैं लेकिन तजुर्बा यह है कि ब्रिटिश जमाने में जो जेलों की स्थिति थी-- मैं 42 में साढ़े तीन साल जेल में रहा हूं